

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2017—आषाढ़ 23, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

क्र. एफ 1(ए) 31-2007-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2011 द्वारा श्री के. सी. जैन, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना को पूर्व में स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. सी. जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 एवं 25 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. जैन, भापुसे का कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भा. पु. से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री के. सी. जैन, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

क्र. एफ 1(ए) 108-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार के लिये बाहर जाने हेतु दिनांक 25 अप्रैल से 26 मई 2017 तक, बत्तीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 64 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

संशोधन

क्र. एफ 1(ए) 20-2006-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2017 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश को दिनांक 12 जून से 20 जून 2017 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, का चालू कार्य श्री आर. के. पाठक, डिविजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

फा. क्र. 2821-2017-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9046/2008 विजय कु. गुप्ता विरुद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 642/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री भरतलाल अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्ति अभिखंडित की गई है, के अनुपालन में श्री भरत लाल अग्रवाल, नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री भरत लाल अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है।

फा. क्र. 2821-2017-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9043/2008 रामचरित मिश्रा विरुद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 643/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्ति अभिखंडित की गई है, के अनुपालन में श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल, नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

क्र. 1065-1152-2015-बीस-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई, 2007 की धारा 12 (1) (तीन) अनुसार "साधारण परिषद्" के लिये राज्य सरकार एतद्द्वारा महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, भोपाल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है :-

क्र.	श्रेणी	नामांकित व्यक्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)

साधारण परिषद् :-

1	सदस्य	डॉ. राधिका प्रसाद मिश्र, आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
---	-------	------------------------------------------------------------------------------------------

(1)	(2)	(3)
2	सदस्य	श्री योगेश भोपे, प्रांत प्रमुख, मालवा प्रांत, संस्कृत भारती, अन्नपूर्णा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2017

(2) उपरोक्त के संबंध में महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

क्र. एफ-3-35-2017-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2640-1-53-33-73, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1973 के द्वारा धारा 13(1) में गठित मंदसौर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है. पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं.

मंदसौर पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—	ग्राम धारियाखेड़ी, गुराडियादेदा, भुन्याखेड़ी, वोलखेड़ा, रूपावली तथा जग्गाखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.
पूर्व में—	ग्राम जग्गाखेड़ी, बोहराखेड़ा, अलावदाखेड़ी, बहादरी, चांगली, बाजखेड़ी तथा ग्राम छाजूखेड़ा की दक्षिणी सीमा तक.
दक्षिण में—	ग्राम छाजूखेड़ा, कायमखेड़ा, निपन्या मेघराज, अजीजखेड़ी, खिलचीपुरा, नालछा तथा ग्राम मिरजापुर की पश्चिमी सीमा तक.
पश्चिम में—	ग्राम मिरजापुर, हैदरवास, दाऊदखेड़ी, दौलतपुर, मुल्तानपुरा, रलायता तथा ग्राम धारियाखेड़ी की उत्तरी सीमा तक.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2017

क्र. एफ-9-2-2016-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 74(A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री दिनेश कुमार द्विवेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री मनोज जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 07 अक्टूबर 2016

क्र.-भू-अर्जन-2016-116.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	मो. बड़ोदिया	करजू	निजी भूमि 0.627 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर.	करजू भवरासा मार्ग निर्माण में निजी भूमि अधिगृहत् बावत्

अनुसूची (01)
(1) ग्राम करजू से भवंरासा सड़क मार्ग निर्माण हेतु

स. क्रमांक (1)	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित (4)	अंसिंचित (5)	कुल (6)	सिंचित (7)	अंसिंचित (8)	कुल (9)
1	चन्द्रसिंह पिता घासीराम जाति खाती निवासी ग्राम करजू.	93	-	-	-	0.122	0.00	0.122
		94/2	-	-	-	0.405	0.00	0.405
		95	-	-	-	0.00	0.100	0.100
						0.527	0.100	0.627

भूमि के नक्षे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किये जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 मई 2017

सार्वजनिक सूचना

क्र.-भू-अर्जन-2017-252(2).—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014-सात-ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम कुंवरपुर खेजरा, परसोरिया तथा सिगरी कीरत में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है. तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम—खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग का निर्माण

ग्राम का नाम—कुंवरपुर खेजरा, रकबा—0.85 हे.

ग्राम का नाम—परसोरिया, रकबा 2.97 हे.

ग्राम का नाम—सिमरी कीरत, रकबा 0.81 हे.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूमि-स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा (हे.मै.)	अर्जित रकबा (हे.मै.)	अन्य सम्पत्ति (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्राम—कुंवरपुर खेजरा					
1	नन्हे भाई पिता पुख्खी गौंड	196	0.51	0.02	—
2	दयाशंकर कमल पिता झुराई कुर्मी	195	0.94	0.05	—
3	राजेश पिता जमना प्रसाद कुर्मी	193	2.21	0.02	—
		228/2	2.47	0.11	—
4	लक्ष्मन पिता बलराम कुर्मी	191	0.09	0.02	—
5	गोपाल पिता झुन्नी लाल कुर्मी	207/1	2.81	0.02	—
6	बलराम पिता भैयालाल कुर्मी	210	1.07	0.03	—
7	रतनलाल पिता महादेव (फौत) अभिषेक पिता रतनलाल (पुत्र).	214	0.77	0.05	—
8	अमीरचंद पिता खुशाल चंद नायक	220/1	1.19	0.12	—
9	नंदनलाल पिता खुशाल चंद	220/2	1.19	0.12	—
		224	0.22	0.05	—
10	मंदिर हनुमानजी मुह. राम गोपाल पिता नंदनलाल दुबे	225	1.00	0.09	—
11	ईश्वर प्रसाद पिता शालिगराम कुर्मी	227	0.14	0.05	—
12	मंदिर हनुमान जी मुह. रघुवर दास जी	228/2	0.4	0.05	—
13	लक्ष्मी नारायण पिता सीताराम कुर्मी	229/1	0.15	0.03	—
14	जीवन पिता सीताराम कुर्मी	229/2	0.14	0.02	—
	योग . .		15.30	0.85	—
ग्राम—परसोरिया					
15	लक्ष्मी रानी पति नारायण कुर्मी	119/1	1.02	0.03	—
		135	1.53	0.02	—
		136/1-2	1.01	0.13	—
		369/1	0.41	0.05	—
16	मुकेश पिता छिमाधर कुर्मी	368/1	0.92	0.08	—
17	साधुराम पिता लटोरे अहिरवार	367/1	0.68	0.03	—
18	तुलसीराम पिता लटोरे अहिरवार	367/2	0.6	0.03	—
19	नरेन्द्र पिता लटोरे अहिरवार	367/3	0.6	0.03	—
20	प्रेमनारायण पिता कैलाश कुर्मी	366	2.54	0.32	—
21	सतरूपा पति अर्जुन कुर्मी	365/1	0.93	0.08	—
22	गऊकरण ना. बा. पिता परसराम वली मां मीनारानी बेवा परसराम कुर्मी.	365/2	0.8	0.1	—
23	शारदा बहू पति बाला प्रसाद कुर्मी	299	1.08	0.1	—
24	महेश पिता रामसेवक कुर्मी	298/1-2	5.39	0.2	—
		290	0.65	0.03	—
		289/3	0.16	0.02	—
25	कुंजीलाल पिता रगवर कुर्मी	292	0.5	0.07	—
26	मिहीलाल पिता मकुन्दी कुर्मी	291/2	0.84	0.08	—
27	मदन धर्मरूच रामप्रसाद पिता बनमाली कुर्मी	289/1-2	1.19	0.07	—
28	टेकचन्द हरीशचंद चन्द्रशेखर पिता बनमाली कुर्मी	289/4	0.99	0.15	—
29	प्रशांत विकास ना.बा. पिता जितेन्द्र बली व खुद मां कुंतीबाई बेवा जितेन्द्र कुर्मी.	264/3	0.21	0.03	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	दामोदर पिता चन्द्रभान कुर्मी	140	0.72	0.12	—
31	रामलाल पिता झुत्ते अहिरवार	139	0.93	0.33	—
32	गुलजार पिता कुंवरमन कुर्मी	114/4	0.8	0.15	—
		115	0.2	0.05	—
33	रमेश पिता जगन्नाथ कुर्मी	98/1	0.87	0.04	—
34	चिन्तामन पिता जगन्नाथ कुर्मी	116	0.11	0.05	—
		117	0.23	0.03	—
		98/2	0.39	0.06	—
		118/1	0.63	0.06	—
35	नंदराम पिता जगन्नाथ कुर्मी	105/2	0.74	0.03	—
36	धनीराम पिता जगन्नाथ कुर्मी	105/1	0.74	0.03	—
37	आशाराम पिता नत्थू काछी	106	0.16	0.02	—
		107	0.54	0.07	—
38	सियारानी बेवा महादेस, घनश्याम, ईश्वरदास कलू भरत पिस. महादेव सुहागरानी बेवा लोकमन काछी.	108	2.13	0.05	—
39	रामदीन पिता भागीरथ कुर्मी	118/8	0.32	0.02	—
40	ननू पिता गोरेलाल बसोर	118/2	0.18	0.02	—
41	जानकी बाई उर्फ जानकीरानी पति रामसेवक कुर्मी	118/6	0.82	0.12	—
42	मस्तराम पिता भागीरथ कुर्मी	114/1	0.49	0.04	—
		114/5	1.2	0.03	—
कुल योग . .			34.25	2.97	—

ग्राम—सिमरी कीरत

43	गऊकरण ना. बा. पिता परसराम बली व खुद मां	37	0.75	0.06	—
	मीनारानी बेवा परसराम किशोरीलाल पिता मोतीलाल	43	1.21	0.02	—
	शारदाबाई पिता मोतीलाल कुर्मी.	44	0.24	0.08	—
44	भगवान दास पिता किशोरीलाल गऊकरण ना. बा.	38/1	0.79	0.03	—
	पिता परसराम पत्नी व खुद मां मीनारानी बेवा परसराम कुर्मी.	38/2	0.11	0.01	—
45	राजा उर्फ खरगराम ना. बा. पिता भगवानदास पत्नी	39/1	0.51	0.02	—
	आजी राधिका रानी पति किशोरीलाल कुर्मी.				
46	राजाराम पिता दामोदर कुर्मी	40	0.08	0.01	—
		45	0.39	0.05	—
		117	0.67	0.05	—
		119	0.33	0.12	—
47	विष्णु प्रसाद पूरना कुर्मी	110/1	0.89	0.12	—
48	मंदिर श्री देव शंकरजी वाके मौजा देह मुह. राजाराम पिता दामोदर कुर्मी.	118	3.06	0.24	—
कुल योग . .			9.03	0.81	—

क्र.-क-भू-अर्जन-2017-252(1).—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014-सात-ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है. तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत की गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा:—

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम—झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग का निर्माण

ग्राम का नाम—रायपुर

रकबा—0.98 हेक्टर.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूमि-स्वामी का नाम पिता नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित रकबा (हे.में.)	अन्य सम्पत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्राम रायपुर					
1	श्रीदेव जगदीश स्वामीजी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर.	67	0.46	0.06	—
2	सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकंद अग्रवाल	65	0.45	0.11	—
3	जगदीश पिता भगवान	47/3	0.36	0.06	—
4	मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर.	4	15.8	0.31	—
5	वीरेन्द्र पिता अजुद्धी सेन	23/3	0.2	0.05	—
6	शालगराम पिता अवधबिहारी	20	2.06	0.02	—
7	रामरतन गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी	22/1	1.42	0.13	—
8	अजुद्धी पिता गोपी सेन	22/2	1.45	0.12	—
9	जगदीश पिता भगवानदास	21/1	0.49	0.12	—
कुल योग . .			22.69	0.98	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 23 जून 2017

क्र. स्था.निर्वा.-मण्डी-2017-198.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़ 186 जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित अध्यक्ष का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विक्रम सिंह सोलंकी	अध्यक्ष	ग्राम गुदनवारा पोस्ट समर्रा जिला टीकमगढ़

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान
भदभदा रोड, बरखेड़ीकला, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

संशोधन

क्र. सियेट-आधार.प्रशि. एवं परी.-25 & 26-2017-18-1163.—साधारण राजपत्र क्र. 24, दिनांक 16 जून 2017 भाग-1 विभाग प्रमुखों के आदेश के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए गये हैं. जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

क्र.	बैच	विवरण पृष्ठ क्रमांक एवं पैरा	टंकन त्रुटिपूर्ण	संशोधित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रथम	3753-2	प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों सहित).	प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों रहित).
2	प्रथम	3756-2	प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों सहित).	प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों रहित).
3	द्वितीय	3770-2	प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों सहित).	प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों रहित).
4	द्वितीय	3773-2	प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों सहित).	प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों रहित).

संचालक.

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

संशोधन

क्र. एफ-275-पंजीयन-2689-2017.—परिषद् के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की मतदाता सूची जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2017 में प्रकाशित हुई है उसमें कुछ पृष्ठों का प्रकाशन नहीं हो पाया है:—

पृष्ठ क्रमांक 2649 पर सरल क्रमांक 27290 से 27300 की सूची प्रकाशित है जो कि पुनः पृष्ठ क्रमांक 2650 पर प्रकाशित हो गयी है तथा सरल क्रमांक 27301 से 27314 तक की सूची प्रकाशित नहीं हो पायी है.

पृष्ठ क्रमांक 2775 पर सरल क्रमांक 28720 से 28732 की सूची प्रकाशित है जो कि पुनः पृष्ठ क्रमांक 2775 पर प्रकाशित हो गयी है तथा सरल क्रमांक 28733 से 28745 तक की सूची प्रकाशित नहीं हो पायी है.

पूजा शुक्ला, प्रभारी रजिस्ट्रार.

संशोधित सूची निम्नानुसार है:-
मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 मई 2017 में प्रकाशित सूची में अप्रकाशित 15 अप्रैल 2015 स.क्रं. 27301 से 27314 तक संशोधित सूची

S.N.	REGISTRATION NUMBER	FATHER'S NAME	ADDRESS	CAST	UNIVERSITY/COUNCIL	COLLEGE NAME	COURSE	PASSING YEAR	FEE	DATE OF BIRTH	AGE	PLACE OF PRESENT RESIDENCE	REGISTRATION DATE	PLACE
27301	एससीएच-27 / डिवी/ 273 01 / 15	मनीष कुमार मेश्राम/संजय म मेश्राम	361 बिसौनी पोस्ट/बिसौनी तह.लाजी जिला-बालाघाट	SC	MPRO सह-विकितीय परिषद।	बालाघाट पैरामेडिकल कॉलेज बालाघाट	DMLT	26/06/2014	1700/-	07-07-1991	26	बालाघाट	15.04.2015	मोपाल
27302	एससीएच-36 / डिवी/ 273 02 / 15	पवन कुमार नंदा/टेक लाल नंदा	वार्ड नं 13 ग्राम गंगोश पोस्ट सुकतार तह. बिछिया जिला-मंडला	obc	सती दुर्गावती विठोबि जबलपुर।	स्वयं सिद्ध इस्टी मंडला	DIP.D PHARMA AYURVEDI C	07-03-2013	2600/-			मंडला	15.04.2015	मोपाल
27303	एससीएच-23 / सर्टि/ 2730 3 / 15	रेखा पटेल/बाबू लाल ठाकर	वार्ड नं 15 कमला नगर बैहर बालाघाट	OBC	म.प्र.सह विकितीय परिषद मोपाल।	साई पैरामेडिकल कॉलेज बैहर	AYU.COM	07-10-2014	1200/-	17/11/1978	37 Year	बालाघाट	15.04.2015	मोपाल
27304	एससीएच-23 / सर्टि/ 27304 / 15	धनंश बिसेन/राम बिसेन	गांव पोस्ट मेडकी तह वापसिबनी जिला बालाघाट	obc	म.प्र.सह विकितीय परिषद मोपाल।	यशपाल पैरामेडिकल साइंस सिबनी	CERT.AY U.COM.	07-10-2014	1200/-	02-03-1992	23 Year	बालाघाट	15.04.2015	मोपाल
27305	एससीएच-17 / सर्टि/ 27305 / 15	आदर्श कुमार शुक्ला/अवधेश कुमार शुक्ला	मकान नं.1050 ए मुल्ला कोलोनी हाऊसिंग बोर्ड कर्नाद मोपाल		MPRO सह-विकितीय परिषद।	स्वशासी गांधी विकिमेडो वि० मोपाल।	CERT. OPERATI ON THEA.TECH	10/07/2014	1200/-	07-09-1994	22 Year	निरक	15.04.2015	मोपाल
27306	एससीएच-35 / सर्टि/ 27306 / 15	सुषमा द्विवेदी/सतीश कुमार द्विवेदी	ग्राम बरहुला सिनगर टोला पोस्ट बरहुला थाना पवार ब्लॉक जवा जिला रीवा म.प्र.	UR	MPRO सह-विकितीय परिषद।	शासनायुग्मिडि कल कॉलेज	CERT.PAN CHAKARM A TECH.	11 augu 2014	1200/-	05-01-1992	24	रीवा	15.04.2015	मोपाल
27307	एससीएच-35 / सर्टि/ 27307 / 15	संगीता पटेल/वृंदा पटेल	ग्राम पोस्ट कुसपारी ब्लॉक बुएहट सीधी	obc	म.प्र. सह-विकितीय परिषद, मोपाल	शासनायुग्मिडि कल कॉलेज	CERT.PAN CHAKARM A TECH.	11 augu 2014	1200/-	05/04/1992	23	सीधी	15.04.2015	मोपाल

27308	एससीएच-04स 1/सॉर्ट/2730 8/15	देशाली कचवारे/संजीव कचवारे	34/48 तुलसी नगर रिंग रोड मुसाखंडी जिला-इंदौर	obc	मध्य सह-विकितीय परिषद।	स्वशासी महाला गांधी स्मृति विकिमहावि इंदौर	CERT. ANAEST.T ECH	20/06/2014	1200/-	27/06/1995	20 Year	इंदौर	15.04.2015	मोपाल
27309	एससीएच-04स 1/सॉर्ट/2730 9/15	रोशनी मालवीय/जगद शेख मालवीय	173/5 तनुनगर जिला-इंदौर	obc	मध्य सह-विकितीय परिषद।	स्वशासी महाला गांधी स्मृति विकिमहावि इंदौर	CERT. ANAEST.T ECH	20/06/2014	1200/-	13-03-1995	20 Year	इंदौर	15.04.2015	मोपाल
27310	एससीएच-04स 1/सॉर्ट/2731 0/15	दीपक रावत/मुकेशरा ठौर	ई-डबल्यू एस 475 विजय नगर देवास	obc	मध्य सह-विकितीय परिषद।	स्वशासी महाला गांधी स्मृति विकिमहावि इंदौर	CERT. ANAEST.T ECH	20/06/2014	1200/-	08/11/2993	21 Year	इंदौर	15.04.2015	मोपाल
27311	एससीएच-04स 1/सॉर्ट/2731 1/15	मोना चौहान/रुद्रवद एस चौहान	362/2 यादवनांद नगर बाण गंगा इंदौर	SC	मध्य सह-विकितीय परिषद।	स्वशासी महाला गांधी स्मृति विकिमहावि इंदौर	CERT. ANAEST.T ECH	20/06/2014	1200/-	11-11-1991	23 Year	इंदौर	15.04.2015	मोपाल
27312	एससीएच-26 /डिप्लो/273 12/15	रवि कुमार पाण्डेय/ नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	ग्राम कनौजी पोस्ट कनौजा तहसील हुजूर जिला रीवा	UR	अख्येय प्रताप सिंह विठोवि रीवा	एसएस मेडिकल कालेज रीवा	DIP.IN MICROBIO LOGY	13-03-2007	3200/-	07-08-1984	30	निरक	15.04.2015	मोपाल
27313	एससीएच- /27313	निरस्त	निरस्त		निरस्त								15.04.2015	मोपाल
27314	एससीएच-14 /सॉर्ट/27314 /15	सोहन सिंह कटार/ मुना सीताराम कटार	गांव गोडकुवा पोस्ट कुंदी मड इंदौर	st	मध्य सह-विकितीय परिषद।	एमजीएम मेडिकल कालेज इंदौर	CERT.IN ECG TECH.	03-02-2009	2700/-	24-03-1984	31	इंदौर	15.04.2015	मोपाल

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 मई 2017 में प्रकाशित सूची में अप्रकाशित 05 नवम्बर 2015 स.कं. 28733 से 28745 तक संशोधित सूची

28733	एससीएच-01 /डिप्लो/287 33/15	सनीषा सलेरिया/जग दीश चंद्र सलेरिया	नियर माधव प्रेस वार्ड नं. 21 बालाघाट म.प्र.	OBC	बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय मोपाल	राजीव गांधी कालेज मोपाल	BPT	07-09-2007	3700/-	28-04-1983	32	बालाघाट	05-Nov-15	मोपाल
28734	एससीएच-23 /सॉर्ट/28734 /15	गायत्री केवट/मुना लाल विसेरिया	गैस गोदाम के पीछे कोठी बाजार होशंगाबाद म.प्र.	OBC	अक्षयप्रदेश सह-विकितीय परिषद	मुक्ता एकेडमी आफ पैरामेडिकल साइन्सेस होशंगाबाद	A.YU. COM.	10-Jul-14	1700/-	05-08-1980	35	होशंगाबाद	05-Nov-15	मोपाल
28735	एससीएच-23 /सॉर्ट/28735 /15	अंकित हरदहा/शिव नारायण	ग्राम देवरा पोस्ट लफडा तहसील बिधिया जिला	OBC	अक्षयप्रदेश सह-विकितीय परिषद	स्वयं सिद्ध इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेक्ना. मण्डला	A.YU. COM.	10-Jul-14	1700/-	01-07-1993	22	मण्डला	05-Nov-15	मोपाल

28736	एससीएच-27 /डिप्लो/287 36/15	निखलेश कुमार प्रजापति/मुन्ना लाल प्रजापति	नियार काव गोदाम बडा, करीला रोड सह रविदास वाड जिला सागर म.प्र.	OBC	डॉ० हरिसिंह गौर वि०वि० सागर	गुरुप्रिय इंस्टी. ऑफ पैरामे. टेकना. सागर	DMLT	16-Sep-14	1700/-	25-09-1988	27	निरंक	05-Nov-15	भोपाल
28737	एससीएच-27 /डिप्लो/287 37/15	सोना अहिरवार/हरि म अहिरवार	हाउस नं. 51 गुलाब होटल गली नं. 1 सुभाष नगर वाड सागर म.प्र.	SC	डॉ० हरिसिंह गौर वि०वि० सागर	गुरुप्रिय इंस्टी. ऑफ पैरामे. टेकना. सागर	DMLT	16-Sep-14	1700/-	15-03-1989	26	निरंक	05-Nov-15	भोपाल
28738	एससीएच-27 /डिप्लो/287 38/15	पूजा मौर्य/मनोहर लाल	सेनस बाग बराक सागर म. प्र.	OBC	डॉ० हरिसिंह गौर वि०वि० सागर	गुरुप्रिय इंस्टी. ऑफ पैरामे. टेकना. सागर	DMLT	16-Sep-14	1700/-	26-06-1991	25	निरंक	05-Nov-15	भोपाल
28739	एससीएच-27 /डिप्लो/287 39/15	रक्षा चौधरी/सुनील चौधरी	एफ 2 सुंदर नगर बुरुलानपुर म.प्र.	OBC	देवी अहिल्या वि०वि० इंदौर।	प्रो बृज मोहन मिश्रा इंस्टी. ऑफ मेडिकल एण्ड टेकना. साइंसस	BMLT	07-07-2012	3700/-	15-06-1989	26	निरंक	05-Nov-15	भोपाल
28740	एससीएच-27 /डिप्लो/287 40/15	आरती सुर्यवंशी/भावा नदीन सुर्यवंशी	33 मसठी मोहल्ला सवर बाजार इंदौर म. प्र.	SC	देवी अहिल्या वि०वि० इंदौर।	इंदौर इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर	DMLT	04-09-2014	1700/-	16-06-1989	26	इंदौर	05-Nov-15	भोपाल
28741	एससीएच-17 /सर्टि/28741 /15	जितेन्द्र व्यास/मोती व्यास	विलेज सांगवाल हालौद जिला इंदौर म.प्र.	UR	मध्यप्रदेश सह-विकिर्तीय परिषद	श्री अरविन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस	CERT. IN O.T. TECH.	10-Jul-14	1200/-	24-04-1990	25	इंदौर	05-Nov-15	भोपाल
28742	एससीएच-35 /सर्टि/28742 /15	भारती झारिया/यदुवंद न प्रसाद झारिया	वाडे नं. 15 खेसाई रोड नैनपुर मण्डला म.प्र.	SC	मध्यप्रदेश सह-विकिर्तीय परिषद	स्वयं सिद्ध इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेकना. मण्डला	cert. in panchkarma	10-Jul-14	1700/-	09-05-1988	25	मण्डला	05-Nov-15	भोपाल
28743	एससीएच-35 /सर्टि/28743 /15	रागिनी यादव/शिवकुं म यादव	ग्राम तिलोई पोस्ट इंद्री तड़सील नैनपुर जिला मण्डला म.प्र.	OBC	मध्यप्रदेश सह-विकिर्तीय परिषद	स्वयं सिद्ध इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेकना. मण्डला	cert. in panchkarma	10-Jul-14	1700/-	21-06-1994	21	मण्डला	05-Nov-15	भोपाल
28744	एससीएच-23 /सर्टि/28744 /15	सोनाम साहू/सबाशम साहू	एट पोस्ट बखरी जिला सिवनी म.प्र.	OBC	मध्यप्रदेश सह-विकिर्तीय परिषद	मीनाक्षी एकाडमी ऑफ पैरामे. स्टडीज सिवनी	AYU. COM.	10-Jul-14	1700/-	08-10-1990	25	सिवनी	05-Nov-15	भोपाल
28745	एससीएच-23 /सर्टि/28745 /15	समीना खान/अब्दुल खालिक	एट घरना पोस्ट बघाट जिला सिवनी म.प्र.	UR	मध्यप्रदेश सह-विकिर्तीय परिषद	मीनाक्षी एकाडमी ऑफ पैरामे. स्टडीज सिवनी	AYU. COM.	10-Jul-14	1700/-	02-04-1990	25	सिवनी	05-Nov-15	भोपाल

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/ भू-अर्जन-2017-77-78

शाजापुर, दिनांक 5 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर/भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	शुजालपुर	दुग्धा	0.476	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	ग्राम दुग्धा से लाहरखेड़ा मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कमलसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	91/2	0.826	-	0.826	0.084	-	0.084
2	एलमसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	91/1	0.826	-	0.826	0.073	-	0.073
3	रामसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/2 min2	1.258	-	1.258	0.134	-	0.134
4	परवतसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/2 min1	0.886	-	0.886	0.134	-	0.134
5	केशरसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/2 min3	1.258	-	1.258	0.010	-	0.010
6	देवकरण, राजकुमार, रामनाथ पिता हुकुमसिंह, धापूबाई वि.हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/3	0.105	-	0.105	0.010	-	0.010
7	रामबाबू उर्फ पिंटू द.पु.बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	96/5	0.732	-	0.732	0.031	-	0.031
					Total	0.476	-	0.476

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ भू-अर्जन-2017-79-80

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	कालापीपल	निपानिया हिसामुद्दीन	6.046 निजी 8.277 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	अरनियाकला से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	नगीनसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	350/2/1, 352/2/1, 358/4/35, 358/5	0.121	-	0.121
2	अमरसिंह हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1/2 व गोस्वधनसिंह पिता सूरजसिंह हि.1/2 जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	492	0.030	-	0.030
3	लालसिंह, गीताप्रसाद, मोहनसिंह पिता मांगीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	493/1	0.015	-	0.015
4	जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	363/3/3, 363/4/3	0.245	-	0.245
5	जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	364	0.150	-	0.150
6	दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	363/3/1, 363/4/1	0.245	-	0.245
7	करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	363/3/2, 363/4/2	0.245	-	0.245
8	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	362	0.370	-	0.370
9	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	366/1	0.053	-	0.053
10	समन्दरसिंह पिता कनीराम जाति राजपूत नि. अकोदी कृषक ग्राम निपानिया हिसामुद्दीन	495/1, 497/1	0.080, 0.150	-	0.080, 0.150
11	अमरसिंह पिता मन्दस्पसिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी शा.न.	479, 482	0.100	-	0.100
12	कुंजीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी	481/1	0.021	-	0.021
13	कुंजीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी	494/1	0.210	-	0.210
14	मोहनलाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	494/2, 494/4 495/2	0.150	-	0.150
15	हुकुमसिंह, विक्रमसिंह, बालिग एलमसिंह ना.बा. चन्द्रसिंह सर.पर. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	494/3 mn.1 503/2	0.100	-	0.100
16	अशोककुमार पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम अरनियाकला भूमिस्वामी	153	0.050	-	0.050
17	कैलाश पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	154/2	0.060	-	0.060
18	आत्माराम पुत्र काशीराम हि.1/2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि.1/2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियाकला भूमिस्वामी	144/1	0.050	-	0.050
19	आत्माराम पुत्र काशीराम हि.1/2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि.1/2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियाकला	144/2	0.050	-	0.050

क्र.	भूमिस्वामी				
20	किशोरसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकला भूमिस्वामी	143/1	0.090	-	0.090
21	आत्माराम पिता काशीराम हि.1/2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, व प्रह्लादसिंह, केदारसिंह पुत्र जगन्नाथ हि.1/2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकला भूमिस्वामी	143/2/2	0.070	-	0.070
22	विक्रमसिंह पिता घौसीलाल व रामकन्याबाई पति विक्रमसिंह जाति बलाई नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	155/2/1/1'	0.070	-	0.070
23	किशन पिता उंकार जाति बलाई नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार	155/2/1/4/1	0.070	-	0.070
24	बापूलाल पिता बालाजी व सोनीबाई पति बालाजी जाति बलाई नि.ग्राम भूमिस्वामी	233/2	0.080	-	0.080
25	मोड़सिंह पिता बद्रीलाल जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकला भूमिस्वामी	131/1	0.120	-	0.120
26	कुन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी	501/1	0.010	-	0.010
27	नारायण, मुचारी पिता सुखराम जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकला भूमिस्वामी	149/3	0.050	-	0.050
28	श्रीलाल पिता मेरूलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	483/2	0.209	-	0.209
29	अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1/2 व गोस्वामिसिंह पिता सूरजमल हि.1/2 जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	483/4	0.418	-	0.418
30	अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1/2 व समभाग गोस्वामिसिंह पिता सूरजमल हि.1/2 जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	350/1, 351	0.235	-	0.235
31	शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	395/2	0.052	-	0.052
32	रूगनाथसिंह, दुर्गाप्रसाद व जितेन्द्र पिता शंकरलाल व लीलाबाई बेवा शंकरलाल जाति गाडरी नि.ग्राम समभाग भूमिस्वामी	234	0.010	-	0.010
33	तुलसीराम पिता घौसाजी जाति गाडरी नि.ग्राम समभाग भूमिस्वामी	234/1	0.010	-	0.010
34	इन्दरसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	350/2/2, 352/2, 358/4, 358/5	0.121	-	0.121
35	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	374	0.100	-	0.100
36	गोस्वामिसिंह पिता सूरजमल दोलीबाई बेवा सूरजमल व अमरसिंह पिता तेजसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	376/2	0.038	-	0.038
37	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	377, 378	0.040, 0.060, 0.100	-	0.040, 0.060, 0.100
38	गोस्वामिसिंह पिता सूरजमल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	376/1	0.346	-	0.346
39	करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	365	0.150	-	0.150
40	दोलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	366/2	0.052	-	0.052
41	गीताप्रसाद पिता हुकमचन्द्र जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी	493/4, 493/5, 493/6	0.015	-	0.015
42	दोलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	366/3	0.052	-	0.052
43	दोलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	366/4	0.052	-	0.052
44	हिन्दूसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी	350/2/3, 352/2, 358/4, 358/5	0.121	-	0.121
45	कमलसिंह पिता दोलतसिंह भगवतसिंह पिता करणसिंह मनोहरसिंह पिता जगदीश जाति गेहलोत भाग समान भूमि स्वामी	360/4	0.209	-	0.209
46	सन्दीप चन्द्रशेखर पिता इन्दरसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी	352/1, 352/5, 358/1/2/1	0.150	-	0.150
47	रम्भाबाई पति खुशीलाल गेहलोत भूमिस्वामी	355/1/4	0.130	-	0.130
48	करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत भूमिस्वामी	355/5	0.105	-	0.105
49	रेशमबाई पति अम्बाराम जाति खाती भूमि स्वामी	152/2, 152/3	-	-	0.209
50	शंकरलाल पिता चतरसाल जाति गेहलोत भूमि स्वामी	238	-	-	0.060
			6.046	-	6.046

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क/ भू-अर्जन-2017-252 (1)

दमोह, दिनांक 23 मई 2017

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र.12-2-2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम - झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग का निर्माण।
ग्राम का नाम - रायपुर
रकबा - 0.98 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.	भू-स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा क.	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे.में	अन्य सम्पत्ति
	ग्राम - रायपुर				
1	श्रीदेव जगदीश स्वामी जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर	67	0.46	0.06	-
2	सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकुंद अग्रवाल	65	0.45	0.11	-
3	जगदीश पिता भगवानदास	47/3	0.36	0.06	-
4	मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर	4	15.8	0.31	-
5	वीरेन्द्र पिता अजुद्धी सेन	23/3	02.	0.05	-
6	शालगराम पिता अवधबिहारी	20	2.06	0.02	-
7	रामरतन गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी	22/1	1.42	0.13	-
8	अजुद्धी पिता गोपी सेन	22/2	1.45	0.12	-
9	जगदीश पिता भगवानदास	21/1	0.49	0.12	-
	कुल योग :-		22.69	0.98	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 7 अ-82-14-15-6846

बैतूल, दिनांक 22 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) बैतूल जिले की तहसील भैसदेही के ग्राम कौड़िया की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि :-

क्रमांक	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे०	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	233/1	0.696	0.121	भदु व० अमृत गोंड सा० देह
2	232	1.093	0.297	सुका व० गडीराम गोंड सा० देह
3	206/6	0.971	0.288	भोप्या व० गुगा, मेहरा सा० देह
4	238/1	1.698	0.144	चुनिया बेवा मोहना, सोजा, घम्मर, जबरसिंह, जबरु व० मोना, रुन्दा, कुन्दा पिता मोहना गोंड सा० देह
5	240/3	0.889	0.115	चन्दरलाल व० सम्मू गोंड सा० देह
	244/4	0.440	0.320	
6	240/2	0.889	0.041	मुन्ना, सम्मू गोंड सा० देह
7	240/1	0.889	0.154	जीरु व० सम्मू गोंड सा० देह
	244/1	0.440	0.082	
8	194	1.100	0.129	लालसिंग व० मंगल गोंड सा० देह
9	192	0.651	0.081	कमला जौजे मधु मेहरा सा० देह
योग			1.772	

(2) कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर, एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है।

(3) चूंकि कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चैनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3 अ-82-15-16-6846

बैतूल, दिनांक 23 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) बैतूल जिले की तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम कटासुर की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि :-

क्रमांक	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे०	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	29/3	0.537	0.150	झुनिया, बिन्ना, झिंगो कलिया पति नबू गोंड सा० देह
2	31	0.482	0.100	गुण्डे व० गजमन, कज्जो बाई बेवा श्यामू रमेश, लखन,निकेश, व० श्यामू, बिस्सो, प्रमिला, पिता श्यामू गोंड सा० देह
3	33	0.737	0.080	धरमसिंह, धरमू, बनवारी व० जीरू रमको पिता जीरू गोंड सा० देह
	54/2	0.283	0.060	
	55/1	0.413	0.120	
4	52	0.769	0.050	बाराती, जिराती व० उदा, बज्जू व० रंजीशा, रामविलास व० नान्हे, फूला बेवा कारू मकल सकल करनसिंह व० कारू, मकल, सकल, करनसिंह व० कारू गोंड सा० देह
	53	2.072	0.100	
	30	0.299	0.030	
5	55/2	0.316	0.100	बाबूलाल व० सुम्मर गोंड सा० देह
6	54/3	0.866	0.070	दयाराम व० साबूलाल गोंड सा० देह
7	27	0.583	0.150	सामू व० मंजू, रामजी व० डोमू गोंड सा० देह
8	22	0.959	0.030	सुगन्ती बेवा जुल्ला दिनेश, गोलू, व० जुल्ला, मल्लो बेवा हज्जू, पिंकी पिता हज्जू, मुंशी व मंगल, गुन्नी, रिंगू गरीबा व० मुंगाजी, सम्मल व० मोरे, पुनू व० छोटे, कलसिया पिता डोमा माहो बेवा चुन्नी लीलावती बेवा बलदेव गोंड सा० देह
कुल योग			1.040	

(2) सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध, हेतु पूरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है।

(3) चूंकि सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/ 14974-भू-अर्जन-2017

राजगढ़, दिनांक 23 जून 2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम जामोन्वा गणेश		तहसील नरसिंहगढ़
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
		कुल
1	2	3
निजी	भूमि	5.752 हे०

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि योग
1	2	3	4	7
1	फूलसिंह पिता लक्ष्मण जाती चमार	181/1/1/2	1.000	0.268
2	ग्यारसा पिता शंकर जाती चमार	181/1/1/3	1.000	0.252
3	गंगाराम पिता गोपीलाल जाती चमार	181/1/1/4	1.000	0.142
4	रमेश पिता मांगीलाल जाती चमार	181/1/1/5	1.000	0.082
5	कमलसिंह पिता धनीराम जाती देशवासी	178/3	0.758	0.213
6	हरीप्रसाद पिता बापूलाल चमार	178/2/2/3	0.253	0.200
7	रूपसिंह पिता मूलचंद देशवासी	195/1	1.417	0.083
8	आत्माराम पिता रामप्रसाद देशवासी	195/2/2/1	2.296	0.273
9	राजेश पिता कमलसिंह जाती देशवाली	195/2/1/2	0.775	0.058
10	मुकेशपिता कमलसिंह जाती देशवाली	195/2/1/1	1.075	0.273
11	बालाप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण देशवासी	195/2/2/2	0.253	0.253
12	प्रहलाद जुगलकिशोर पुरषोत्तम पिता कालूराम दांगी	201	2.794	0.415

13	प्रेमनारायण घनश्याम पिता राधा किशन दांगी	202/2	3.029	0.858
14	प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती	203/1/1/1	0.253	0.101
15	रामनारायण पिता हजारी लाल खाती	203/1/1/2	0.253	0.101
16	जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश	203/1/2	0.505	0.135
17	लक्ष्मीनारायण पिता गोपीलाल खाती	203/1/3/1	0.101	0.101
18	मोहन लाल पिता गोपीलाल खाती	203/1/3/2	0.101	0.101
19	विष्णुप्रसाद पिता गोपीलाल खाती	203/1/3/3	0.101	0.101
20	कैलाश पिता गोपीलाल खाती	203/1/3/4	0.101	0.101
21	रमेशचंद पिता गोपीलाल खाती	203/1/3/5	0.102	0.102
22	बृजकिशोर पिता बापूलाल खाती	203/1/4	0.519	0.051
23	हरिचरन पिता मोतीलाल खाती	203/2	4.456	0.273
24	घनश्याम पिता हरीप्रसाद खाती	192/1/1/1	0.924	0.258
25	ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाती बलाई	193/27/2/1	0.253	0.100
26	गुलाबसिंह पिता धीसानाल जाती गाडरी	191/1	1.550	0.189
27	मुंतजबी पत्नी सैयद जकी अहमद जाती मुसलमान	191/2/1	2.058	0.303
28	गायत्रीबाई पत्नी भगवान सिंह खाती	189/1/1	0.316	0.017
29	हरीचरन राधेश्याम पिता मांगीलाल	189/1/2	0.253	0.075
30	प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती	189/2/1	0.142	0.075
31	कैलाश पिता गोपीलाल खाती	189/2/2	0.142	0.075
32	जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश खाती	189/2/3	0.142	0.038
33	धन्नूबाई बेबा बापूलाल खाती	189/2/4	0.143	0.038
34	वसन्ती बाई पत्नि बापूलाल खाती	188	0.089	0.045
		34	29.154	5.752

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 14975-भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वज्ञानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्भवस्थापन में उचित प्रतिकर और पस्ददर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वज्ञानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम सोनकच्छ		तहसील नरसिंहगढ़
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है०
		कुल
1	2	3
निजी	भूमि	17.010 हे०

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	रामनारायण शंभूलाल रतनलाल बनेसिंह पिता हजारी लाल	153	0.810	0.035
		160	0.038	0.038
2	गीताबाई पुत्री हजारीलाल ही ५० बडीलाल मदनलाल पिता किशन अनार बाई बेवा पुत्री किशन गुलाब बाई बेवा किशन ही ५० चमार	161	0.443	0.335
3	कंवर लाल पिता अमरा राम चरण पिता वंशी लीला बाई पुत्री हीरा बादाम बाई बेवा हीरा चमार	154/1	0.194	0.194
		162/1	0.379	0.300
4	रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी	154/2	0.413	0.250
5	रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी	180	0.417	0.030
6	रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी	181/2	0.101	0.025
7	रामचरण पिता बंशीलाल चमार	162/2	0.253	0.253

8	गंगाराम पिता गोपीलाल दागी	163	1.354	0.020
9	श्याम लाल पिता मंशाराम दांगी	181/1	0.519	0.200
10	मंशाराम पिता देवाजी दांगी	159/5	0.447	0.200
11	मंशाराम पिता देवाजी दांगी	182/1	1.000	0.900
12	मंशाराम पिता देवाजी दांगी	183/1	0.045	0.025
13	मंशाराम पिता देवाजी दांगी	186/1	0.084	0.024
14	मंशाराम पिता देवाजी दांगी	188/2	0.033	0.033
15	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	159/4	0.448	0.020
16	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	182/2	0.644	0.600
17	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	183/2	0.045	0.025
18	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	186/3	0.084	0.050
19	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	187/1	0.367	0.300
20	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	188/3	0.033	0.033
21	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	188/4	0.134	0.070
22	जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी	186/2	0.287	0.065
23	जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी	187/2	1.050	0.360
24	जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी	188/1	0.104	0.104
25	धन सिंह पिता रंग लाल दांगी	389/1/1	0.213	0.025
26	धन सिंह पिता रंग लाल दांगी	537/1	1.356	0.185
27	कैलाश नारायण पिता रंगलाल जाति दांगी	389/2/2/11	0.350	0.065
28	धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी	389/2/2/12	0.120	0.080
29	लक्ष्मीनारायण पित रंगलाल जाति दांगी	381/1/1	0.320	0.110
30	धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी	528/5	0.126	0.060
31	छबीलाल पिता चंपालाल जाति दांगी	528/6	0.126	0.020
32	धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी	537/3	0.489	0.185
33	मीना पत्नी भूपेंद्र जाती अहीर	376/1/1	0.397	0.227
34	रिंकी ठाकुर पिता रतन सिंह अहीर	376/1/2	0.396	0.226
35	अवरलाल पिता कालूराम दागी	376/2/1	0.250	0.110
36	गोकुल प्रसाद पिता कालूराम दागी	376/2/2	0.250	0.135
37	दुलीचंद पिता कालूराम दागी	376/2/3	0.250	0.135
38	ब्रज मोहन राजेश कुमार पिता नौरंगी लाल कायस्त	377/1/1	0.303	0.060
39	रतन बाई नौरंगी लाल कायस्त	377/2	1.265	0.320
40	उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी	378/1/2	0.190	0.190
41	उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी	379/2/1	0.058	0.058
42	उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी	382/1/2	0.025	0.025
43	देवराज ना .प .रामप्रसाद सा पिता .बा .	382/1/1	0.266	0.150

	माता मेवाबाई पत्नी रामप्रसाद जाती दागी			
44	राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी	282/2	0.291	0.010
45	राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी	379/1	0.202	0.150
46	भूरी बाई पति छवि लाल जाति दांगी	379/2/2	0.132	0.020
47	शिवनारायण पिता कालूराम मेवाबाई प्रेम बाई पुत्री कालूराम कस्तूरबाई बेवा कालूराम दागी	379/4	0.481	0.215
48	गोकुल प्रसाद पिता हजारी लाल दागी	529/1	0.750	0.275
49	रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी	529/2	0.755	0.275
50	रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी	530/3/2	0.448	0.110
51	तुलसीबाई पति गोकुल प्रसाद दागी	530/3/1	0.754	0.200
52	जयराम पिता श्री लाल दागी	530/2/1	0.922	0.345
53	अयोध्या बाई पिता गोपी लाल दागी	530/2/2	1.012	0.253
54	राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी	531/1	0.339	0.139
55	राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी	533/2	0.506	0.320
56	नरेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह दांगी	533/1	0.506	0.115
57	रामप्यारीबाई पिता रामरतन दागी	533/3	0.468	0.130
	रामनारायण पुरसोत्तम बाबूलाल पिता	537/2	0.589	0.230
	रामनारायण गायत्री बाई सावित्री बाई पिता रामनारायण गोकलाबाई बेवा रामनारायण दागी	558	0.797	0.050
58	मांगीलाल पिता कालू दागी	540	2.226	0.180
59	विनोद कुमार पिता रंगलाल गुलकंद अनीता पिता रंगलाल केसरबाई बेवा रंगलाल दागी	553	0.405	0.215
60	जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी	554	0.063	0.013
61	जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी	555	0.190	0.030
62	चंदरलाल पिता बैजनाथ दागी	556/1	0.379	0.240
63	खैत संस पचज इवरदु जाति दांगी	556/2	0.380	0.080
64	छबिलाल पिता रामनाराय कमलाबाई बेवा रामनारायण दागी	549/1	0.638	0.020
65	रतनलाल पिता गुलाब दागी	549/2	0.638	0.050
66	मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़	593	1.354	0.600
67	रतनलाल पिता गंगाधर दागी	594	0.101	0.051
68	दुलीचंद पिता गंगाधर दागी	603/2	0.087	0.040

69	मदनलाल पिता गोपीलाल दागी	603/3	0.172	0.150
70	मांगीलाल पिता जयराम दागी	603/4	0.173	0.173
71	भवरलाल पिता देवाजी दागी	600/1	0.063	0.033
72	रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकार जाती दागी	600/2	0.063	0.033
73	रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकार जाती दागी	602/3	0.240	0.220
74	बापूलाल पिता देवा जाती दागी	602/1	0.155	0.055
75	भवरलाल पिता देवा दागी	602/2	0.200	0.200
76	सौरभ बाई पिता सालगराम दागी	650	1.505	0.505
77	देवा पिता नाथ हि0 25 पैसे भूली बाई बैवा मांगीलाल कृष्णा बाई ललता बाई, ना.बा0. पिता मांगीलाल स0प0 माता भूली बाई, सौरभ बाई बैवा मांगीलाल जितेन्द्र, विष्णु प्रसाद, सुनिता बाई, गुडडीबाई, ना0बा0पिता मांगीलाल, स0प0 माता सौरभ बाई हि0 25 पैसे, धीसालाल, मोतीलाल, रामनारायण पिता नरसंग लाल, हि0 50 पैसे जाति दागी	652	0.278	0.100
78	देवराज पिता मन्नु लाल जाती दागी	665	0.581	0.210
79	अमरसि रामचरण शिवप्रसाद हरी प्रसाद भानु प्रसाद पिता मोतीलाल ही ३४ पैसा आत्माराम पिता छोटाराम ही ३३ पैसे नन्नु लाल पिता हरिराम ही ३३ पैसे जाती देशवाली	664	0.013	0.013
80	दुलीचंद पिता गंगाधर दागी	663/2	0.080	0.010
81	मदनलाल पिता गोपीलाल दागी	663/3	0.161	0.110
82	जयराम पिता गोपीलाल दागी	663/4	0.160	0.055
83	हजारी लाल पिता रामा दागी	662	0.961	0.641
84	दुलीचंद पिता गंगाधर खाती	661/1	0.139	0.065
85	मदनलाल पिता गोपीलाल दागी	661/2	0.342	0.040
86	मुन्नलाल पिता नारन दागी	656/1	0.904	0.250
87	रंगलाल पिता नारन दागी	656/2	0.495	0.250
88	रुकमाबाई बैवा प्रमुलाल दागी	725/1/2	0.308	0.190
89	शिवचरण पिता लक्ष्मी नारायण दागी	725/1/1	0.126	0.101
90	कन्हैयालाल, शिवचरण पिता लक्ष्मीनारायण कौशल्याबाई सुशीलाबाई पिता लक्ष्मीनारायण रोडी बाई बैवा लक्ष्मीनारायण जाती दागी	725/2	0.266	0.253
91	दौलतराम पिता मांगीलाल दागी	725/3	0.388	0.195
92	आत्माराम पिता छोटाराम संपत्त बाई बैवा छोटाराम जाति देशवाली	726	0.493	0.090
93	शिवनारायण दयाराम पिता मोहनलाल, जमनीबाई, गंगाबाई, रामकलांगबाई, पुत्रीयो मोहनलाल जाति दागी हि0समान्य	727/1	0.683	0.035
94	राजराम पिता मांगीलाल दागी	724	1.556	0.250

95	भानुप्रकाश पिता मोती लाल देशवाली	710/2	0.284	0.015
96	आत्माराम पिता जगन्नाथ देशवाली	718	0.670	0.310
97	घीसीबाई पति आत्माराम देशवाली	717	0.961	0.475
98	सोहन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह देशवाली	716/2	1.492	0.510
99	कृष्णबल्लभ पिता रतनलाल देशवाली	711	1.404	0.055
100	लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल	712/1	1.063	0.420
101	लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल	708/1/1	2.690	0.525
102	लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल	708/2/1	1.202	0.475
	कुल योग किता	102	51.772	17.010

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 14976-भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम बडोदिया तालाब		तहसील नरसिंहगढ़
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
		कुल
1	2	3
निजी	भूमि	25.795 हे०

स०क०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी	53/1	1.517	0.239
2	भगवान सिंह पिता मांगी लाल ,जमना बाई पति भगवान सिंह	53/2	0.759	0.239
3	नारायण सिंह पिता मांगीलाल	53/3	0.759	0.239
4	नारायण सिंह पिता मांगीलाल	56	1.619	0.158
5	दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी	54	0.759	0.347
6	दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी	55/2/2	0.367	0.100
7	सोदानसिंह पिता माधोसिंह नट	57	2.782	0.490
8	रघुवीर सिंह पिता लालसिंह	59/1	0.556	0.087
9	मदरूपसिंह पिता लालसिंह	59/2	0.557	0.870
10	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	60	1.265	1.012
11	पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीर सिंह	61/1	2.137	0.400
12	नवीनराज सिंह पिता रघुवीर सिंह	61/2	1.100	0.200
13	द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल	1001	1.455	0.291
14	द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल	1000	1.075	0.415
15	मानकुंवर बेबा लालसिंह	996	0.266	0.053
16	प्रमीला सिंह पति रघुवीर सिंह	997/1	0.101	0.020
17	छोटेलाल पिता मदन लाल महाजन	997/2	0.531	0.106
18	द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल	998/1	0.499	0.100
19	प्रमीला सिंह पति रघुवीर सिंह	998/2/1/1	1.417	0.283
20	छोटेलाल पिता मदन लाल	998/2/1/2	0.228	0.046
21	दिनेश कुमार , गोविन्दप्रसाद, सतीश कुमार पिता शिवनारायण ,जनकी बाई बैवा शिवनारायण	998/2/1/3	0.373	0.075

22	मानकुंवर बाई बेवा मानसिंह	998/2/2	0.379	0.076
23	कंचनबाई बेवा मदन कांछी	1025	0.202	0.202
24	कंचनबाई बेवा मदन कांछी	1026	0.063	0.063
25	कंचनबाई बेवा मदन कांछी	1028/1	0.069	0.028
26	कैलाश पिता मदन कांछी	1028/2	0.993	0.663
27	रामचरण पिता जगन्नाथ आदि	1027	0.190	0.076
28	कैलाशचंद पिता गंगाप्रसाद महाजन	1029/1/1	0.758	0.353
29	मु रूक्मणि बेवा गंगाप्रसाद महाजन	1029/1/2	1.518	0.350
30	कंचनबाई बेवा मदन कांछी	1029/2/1	0.164	0.001
31	कैलाश पिता मदन कांछी	1029/2/2	0.165	0.150
32	काशीराम पिता मदन कांछी	1029/2/3	0.164	0.100
33	भवरलाल पिता घीसा	988	0.177	0.143
34	कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल	991/2	0.107	0.030
35	कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल	986	1.252	0.200
36	कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल	987	0.342	0.342
37	दिनेश मनोहर पिता बैजनाथ कोशल्या बाई बेवा बैजनाथ	989/4	0.152	0.100
38	दरियाब सिंह पिता घीसालाल	989/5	0.050	0.050
39	दरियाब सिंह पिता घीसालाल	955	0.253	0.180
40	भवरलाल पिता घीसालाल	989/6	0.127	0.127
41	दरियाब सिंह पिता घीसालाल	957/1	0.051	0.051
42	राधेश्यान जगदीश प्रसाद	957/2	0.341	0.160
43	राधेशयाम जगदीशप्रसाद वगैरह	954	0.190	0.100
44	समुन्दरबाई वैगरह	959	0.152	0.120
45	शिवनारायण पिता अमरा	960	0.342	0.342
46	संवीक्षा पिता रुग्नाथ	961	0.367	0.040
47	दिनेश मनोहर पिता बैजनाथ	962/2	0.147	0.016
48	जगदीश संजय पिता कमोद सिंह बगैरा	962/3	0.118	0.016
49	सोवश पिता रुग्नाथ	963/2	0.147	0.008
50	समन्दर बाई कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण	964	0.215	0.026
51	समन्दर बाई कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण	950	1.012	0.562
52	कालू राम पिता सोबश	944/1	0.037	0.024
53	गंगाधर पिता शिवनारायण	944/2	0.222	0.031
54	रामेश्वर प्रेम नारायण कालूराम पिता जगन्नाथ	944/3	0.070	0.023
55	गंगाधर श्रीलाल पिता शिवनारायण सोरमबाई चंदाबाई पिता शिवनारायण जगन्नाथ बैजनाथ पिता मुन्नालाल कालूराम दत्तक सोबक्ष	945/2	0.083	0.057

56	रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ	945/3	0.095	0.057
57	प्रेमनारायण पर्वत पिता किशन नट	483/1	0.873	0.250
58	मांगीलाल ,कौशल्या बाई, रेशमबाई, लीलाबाई , पिता जगन्नाथ जाति सेहरिया	483/3	1.265	0.040
59	घनश्याम गोपाल पिता मुंशीलाल नाई जमोन्या गणेश	483/4	1.265	0.759
60	भंवरलाल पिता सरगराम जाति दांगी	482/1	1.265	0.632
61	कनीराम पिता हरलाल	395/1/15	0.778	0.142
62	गोविंदा पिता प्रभूलाल बलाई	395/1/8	0.506	0.496
63	गोपीलाल पिता बलराम पट्टा सेरिया	395/1/9	0.778	0.324
64	अशोक कुमार रामबाबू नलिता पिता प्रेमनारायण	449/1	2.752	0.550
65	अशोक कुमार रामबाबू ललित कुमार पिता प्रेमनारायण जाति कायस्थ	450/2	0.257	0.050
66	ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण	449/2	0.700	0.140
67	ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण	450/1	0.059	0.030
68	जमनाप्रसाद पिता घीसालाल	451/1	0.563	0.135
69	अयोध्या बाई पिता मांगीलाल	451/2	0.626	0.135
70	घूलजी पिता बक्षू	452/1	0.885	0.500
71	राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती	415/1	0.045	0.005
72	कैलाश पिता हीरालाल ,शांतिबाई पति हीरालाल	415/2	0.045	0.040
73	कैलाश पिता हीरालाल ,शांतिबाई पति हीरालाल	416/2	0.095	0.065
74	बालाबगस पिता बल्देव खाती	418	0.177	0.090
75	बालाबगस पिता बल्देव खाती	424	1.467	0.832
76	रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती	425	1.417	0.600
77	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	426/1	0.338	0.068
78	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	427/1	0.050	0.050
79	भगवती बाई बेबा शंकरलाल लक्ष्मीनाराण आदि	426/2	0.358	0.068
80	उमराव सिंह पिता बल्देव खाती	431	1.252	0.213
81	राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती	443/1	0.626	0.088
82	जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह	444	1.429	0.050
83	जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह	445	0.936	0.860
84	श्यामबाबू पुरचोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल	410	0.266	0.150
85	रामनारायण पिता बक्सू	411	0.367	0.123

86	रामनारायण पिता बक्सू	413	0.038	0.025
87	मुकेशकुमार पिता दयाराम	412	0.101	0.085
88	जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह	414	0.152	0.095
89	भंवरीबाई ,शांतिबाई पुत्री हीरालाल जाति खाती	409/1	0.158	0.140
90	गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती	409/2/1	0.079	0.079
91	लखनलाल पिता रामचरण	409/2/2	0.079	0.079
92	राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती	306/1/1	0.142	0.010
93	गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती	306/2/1	0.143	0.120
94	लखनलाल पिता रामचरण खाती	306/2/2	0.142	0.120
95	प्रेमनारायण पिता भंबरलाल	291	0.291	0.240
96	मुकेशकुमार पिता दयाराम	309	0.215	0.025
97	जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती	286/2	0.051	0.051
98	मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल	280	0.291	0.010
99	मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल	284/1	0.080	0.050
100	ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती	282	0.278	0.090
101	कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती	284/3	0.080	0.020
102	श्यामबाबू पुरषोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल	285/1	0.089	0.070
103	ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती	285/2	0.012	0.008
104	ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती	286/1	0.063	0.063
105	ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती	287	0.051	0.051
106	ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती	288	0.051	0.051
107	रमेश पिता भंवरलाल	289/1	0.021	0.021
108	बद्रीलाल पिता पन्नालाल	289/2	0.021	0.021
109	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	290/1	0.069	0.026
110	कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती	290/2	0.070	0.040
111	रामकुंवर पुत्री देवीसिंह	273/4	0.051	0.020
112	रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती	274	0.253	0.253
113	जगदीश पिता बापूलाल	275/1	0.093	0.045
114	जगदीश पिता बापूलाल	289/3	0.021	0.015
115	रमेश पिता भंवरलाल	275/2	0.185	0.122
116	मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि	276	0.253	0.240
117	मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि	277	0.063	0.063
118	सीताबाई पति कालूराम खाती	278/1	0.246	0.220
119	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	278/2	0.247	0.085

120	गम्पूलाल पिता नाथू खाती	284/2	0.080	0.040
121	जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती	279	0.266	0.045
122	रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	273/1	0.050	0.050
123	भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	273/2	0.051	0.040
124	इन्दरसिंह पिता देवीसिंह	273/3	0.050	0.030
125	रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	262/1	0.092	0.030
126	भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	262/2	0.091	0.050
127	इन्दरसिंह पिता देवीसिंह	262/3	0.092	0.070
128	रामकुवंर पुत्री देवीसिंह	262/4	0.092	0.090
129	रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	260/1	0.095	0.010
130	भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	260/2	0.095	0.010
131	इन्दरसिंह पिता देवीसिंह	260/3	0.095	0.010
132	रामकुवंर पुत्री देवीसिंह	260/4	0.094	0.010
133	रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	268/1	0.053	0.053
134	भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत	268/2	0.054	0.054
135	इन्दरसिंह पिता देवीसिंह	268/3	0.054	0.054
136	रामकुवंर पुत्री देवीसिंह	268/4	0.054	0.054
137	मांगीलाल पिताधीसा लाल खाती	269/1	0.215	0.030
138	गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर	267/1/1	0.041	0.041
	बदम्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर			
139	घीसी लाल गणेशीलाल	923	0.291	0.200
140	घीसी लाल गणेशीलाल	924	1.328	0.650
141	यशोदाबाई पति मांगीलाल खाती	585	0.253	0.150
142	घीसी बाई बेबा मदन लक्ष्मी	264/1	0.158	0.140
143	सिद्धलाल बदीलाल जगन्नाथ पिता रामा हे. 87 पैसा. पूनमचंद पिता रमा हर्कुबाई पिता रामा 13 पैसा	264/2	0.158	0.158
144	कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार	264/3	0.101	0.101
145	कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार	265/2	0.107	0.010
146	महेश बाबू पिता रामप्रसाद	265/1	0.108	0.060
147	मांगीलाल पिता चुनीलाल खाती	266	0.240	0.210
148	गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर बदम्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर	263/3	0.098	0.040
149	गोरधन पिता गंगाधर चमार	263/1	0.098	0.020
150	मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद	267/1/2	0.041	0.041
151	मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद	263/2	0.098	0.036

152	मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद	263/4	0.098	0.015
153	कैलाश सुरेश पिता आशाराम	267/2	0.057	0.057
154	कैलाश नारायण पिता कालू राम	920	0.607	0.159
155	धीसी लाल गणेशीलाल	921	0.481	0.481
156	विठ्ठल प्रसाद पिता शिवनरान	922	0.063	0.025
157	धीसी लाल गणेशीलाल	931	0.101	0.101
158	धीसी लाल गणेशीलाल	932	0.658	0.250
159	धीसी लाल गणेशीलाल	930	0.139	0.070
160	कालू राम पिता सोबश	936/1	0.487	0.240
161	श्रीलाल पिता शिवनारायण	936/2	0.170	0.085
162	रामेश्वर प्रेम नारायण कालूराम पिता जगन्नाथ कली बाई वि लक्ष्मी नारायण	936/3	0.190	0.100
163	केशर बाई पति श्री लाल खाती	936/4/1	0.506	0.250
164	केशर बाई पति श्री लाल खाती	936/4/2	0.064	0.035
165	केशर बाई पति श्री लाल खाती	939/1	0.017	0.017
166	कालू राम पिता सोबश	939/2	0.252	0.130
167	रामेश्वर पिता जगन्नाथ आदि	939/3	0.100	0.060
168	श्रीलाल पिता शिवनारायण	939/4	0.100	0.080
169	गंगाधर पिता शिवनारायण	939/5	0.100	0.090
170	रामनारायण पिता बैजनाथ	937	0.038	0.038
171	रामनारायण पिता बैजनाथ	938/1	0.150	0.150
	योग कुल कित्ता	171	65.626	25.795

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 14977-भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम जामोन्या जौहार		तहसील नरसिंहगढ़
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
		कुल
1	2	3
निजी	भूमि	12.194 हे०

स०क०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
1	दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती	206/1/1	0.399	0.350
2	दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती	245/2	0.158	0.158
3	माखनलाल पिता भवरलाल	207/2/2	0.827	0.120
4	भवरलाल पिता देवबगस जाती खाती	245/1	0.148	0.148
5	भारतसिंह माता गुलबहार बेड़िया	209/1/1	0.759	0.450
6	जीवन पिता उमराओ सिंह जाती बेड़िया	210	0.342	0.180
7	काँचीबाई पुत्री बोड़ा २५ पैसा ही जाती चमार रामनारायण पिता सुखराम ही ५० पैसा देवी सिंह पिता मिश्रीलाल प्रकाश कन्हैयालाल पिता शिवनारायण ही २५ पैसा जाती बेड़िया	211	0.126	0.085

8	शिवनारायण पिता सुखराम जाती धाखड़	215	0.190	0.070
9	मांगीलाल पिता नानूराम जाती चमार	216/2	0.095	0.050
10	शिवनारायण पिता मूलचंद जाती धाखड़	242/1	0.433	0.160
11	नक्षत्रीचंद पिता मूलचंद जाती खाती	242/2	0.433	0.145
12	सुरेश, भारत सिंह, जगदीश पिता मथुरानाल जाती धाखड़	242/3	0.121	0.065
13	सुरेश भारत सिंह जगदीश पिता मथुरानाल धाखड़	240/1	0.489	0.165
15	भवरनाल पिता मूलचंद जाती धाखड़	240/2	0.600	0.210
16	भवरनाल पिता मूलचंद जाती धाखड़	239/2	0.010	0.010
17	धिसी पत्नी गोविन्द जाती बेड़िया	240/3	0.177	0.090
18	दिनीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जाती खाती	219/1	0.266	0.133
19	दिनीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जाती खाती	237/1/1	0.120	0.060
20	सुरेश पिता मथुरानाल जाती धाखड़	239/1	0.015	0.015
21	मांगीलाल पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/1/1	0.145	0.070
22	मांगीलाल पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/3/2	0.063	0.040
23	मांगीलाल पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/4/3	0.101	0.101
24	मांगीलाल पिता ईशवरीबागस जाती खाती	234/2	0.099	0.050
25	मांगीलाल पिता ईशवरीबागस जाती खाती	281/4	0.463	0.070
26	मांगीलाल पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/2/4	0.026	0.026
27	शिवचरण पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/1/2	0.146	0.110
28	शिवचरण पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/2/2	0.024	0.024
29	शिवचरण पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/4/2	0.127	0.090
30	शिवचरण पिता ईशवरीबागस जाती खाती	281/1	0.132	0.050
31	शिवचरण पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/4/4	0.063	0.063
32	सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती	238/2/1	0.443	0.300
33	सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती	238/4/1	0.063	0.040
34	सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती	281/3	0.560	0.070
35	रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/2/3	0.027	0.027
36	रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागस जाती खाती	238/4/5	0.114	0.030
37	रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागस जाती खाती	281/2	0.694	0.160
38	महेश पिता ईश्वरीबागस जाती खाती	238/2/5	0.027	0.027
39	महेश पिता ईश्वरीबागस जाती खाती	238/3/1	0.316	0.250
40	महेश पिता ईश्वरीबागस जाती खाती	281/5	0.465	0.013
41	बद्रीप्रसाद पिता जगन्नाथ जाती खाती	237/2	0.116	0.070
42	शम्भुलाल पिता वैजनाथ जाती खाती	237/3	0.116	0.070
43	श्यामनाम पिता दौला जाती चमार	233/1	0.632	0.350
44	भवरनाल हरिप्रसाद पुत्र दयाराम राधेश्याम विष्णु गोपाल पिता श्यामप्रसाद जाती खाती	276	1.075	0.275

45	अभिषेक पिता विष्णु प्रसाद जाती खाती	277/1	0.500	0.180
46	शिवचरण पिता कुंवरनाल जाती खाती जगन्नाथ पिता मुन्नालाल बंदीप्रसादा पिता रामकिशन गोकुलबाई देवा बंसीनाल महेशकुमार पिता बंसीनाल बैजनाथ पिता अमरसिंह घनश्याम पिता मुंशीनाल गोविन्द प्रसाद देवकरण पिता बापूनाल मथुराबाई जाती खाती	277/2	0.499	0.170
47	बन्सु पिता देवचंद्र जाती चमार	275/1/1	0.196	0.080
48	बन्सु पिता देवचंद्र जाती चमार	279	0.392	0.200
49	बैजनाथ पिता भवरनाल जाती चमार	275/1/2	0.152	0.070
50	बीरम पिता काशीराम जाती चमार	275/2	0.740	0.200
51	भवरनाल पिता दयाराम जाती खाती	278	0.443	0.115
52	अमरसिंह पिता गोरीनाल जाती चमार	280/1	0.215	0.110
53	हरनाल पिता मुन्ना जाती चमार	280/2	1.379	0.250
54	आनंदीनाल पिता घीसानाल जाती खाती	282/1	0.234	0.140
55	रामकवारी पिता गंगाराम जाती खाती	282/2	0.234	0.180
56	नीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती	312	0.278	0.245
57	नीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती	313/1	0.418	0.010
58	नीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती	313/2	0.417	0.010
59	रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती	314/1	0.358	0.180
60	रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती	490/4	0.051	0.010
61	घीसानाल पिता बैजनाथ जाती खाती	314/2	0.426	0.360
62	कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार	493/1	0.936	0.350
63	कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार	493/2	1.012	0.170
64	जीवनमाता रईसा जाती बेड़िआ	493/3/1	0.425	0.150
65	मुकेश माता चंदा बेड़िआ	493/3/2	0.425	0.340
66	शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़	492/1	1.189	1.000
67	राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाती धाखड़	492/2	1.180	0.730
68	शिवचरण पिता मुंशीनाल जाती खाती	490/5	0.135	0.025
69	कैलाशा पिता मुंशीनाल जाती खाती	490/6	0.135	0.030
70	कैलाशा पिता मुंशीनाल जाती खाती	490/13	0.135	0.100
71	बंदीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती	490/7/1	0.130	0.030
72	बंदीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती	490/12/1	0.130	0.065
73	बंदीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती	490/23/2	0.175	0.060
74	नरुमीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती	490/7/2	0.130	0.030

75	नक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती	490/12/2	0.130	0.080
76	नक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती	490/23/1	0.175	0.080
77	शिवनारायण पिता मुंशीनाल जाती खाती	490/14	0.135	0.120
78	रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती	490/15	0.437	0.437
79	रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती	490/20	0.100	0.035
80	शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़	490/16/1	0.379	0.080
81	घीसालाल पिता बैजनाथ जाती खाती	490/16/2	0.280	0.050
82	शिवचरण पिता मुंशीनाल जाती खाती	490/21	0.163	0.060
83	शिवचरण पिता मुंशीनाल जाती खाती	490/22	0.163	0.060
84	नक्ष्मीनारायण पिता दरियाव सिंह जाती खाती	490/24	0.100	0.040
85	शिवचरण पिता ईशवरीबख्श जाती खाती	499/1	0.038	0.013
86	रमेशचंद्र पिता ईशवरीबख्श जाती खाती	499/2	0.038	0.038
87	सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ	499/3	0.038	0.038
88	मांगीलाल पिता ईशवरीबख्श जाती खाती	499/4	0.038	0.038
89	महेश पिता ईशवरीबख्श जाती खाती	499/5	0.038	0.010
90	किशनलाल पिता इशवरियाबख्श जाती खाती	244	0.569	0.225
91	रामचरण पिता दरियाव सिंह जाती खाती	490/27	0.100	0.030
92	रमेशचन्द्र पिता घीसालाल जाती खाती	478/1	0.278	0.050
93	देवबगस पिता हरिराम जाती खाती	478/2	0.310	0.080
	योग कुल कित्ता		28.323	12.194

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक/ 604-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 03-अ-82-2016-17

रतलाम, दिनांक 28 जून 2017

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सेमलखेडा एवं कोलपुरा, तहसील सैलाना जिला रतलाम मे नाहरखोरा तालाब के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम सेमलखेडा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18 -

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	नाकला पिता हिन्दुडा भील	169/1	-	0.260	0.260	
2	मलिया पिता तोलिया	169/2	1.000	-	1.000	कुआ कच्चा एक
3	मलिया पिता तोलिया	226	1.170	-	1.170	
4	बारिया, नन्दु पिता हुमला	229	0.190	-	0.190	कुआ कच्चा एक
5	बारिया, नन्दु पिता हुमला	230	0.150	-	0.150	
6	दित्या पिता बदिया निनामा	231	0.300	-	0.300	
7	मकना पिता हिन्दुडा	232	0.550	-	0.550	कुआ कच्चा एक
8	मेमजी पिता विश्या भील	233	1.200	-	1.200	कुआ कच्चा एक टापरी एक
9	बाबूलाल पिता जाल्या भील	234/2	-	0.850	0.850	
10	नाकला पिता हिन्दुडा	234/3	-	1.000	1.000	

ग्राम कोलपुरा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18 -

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	रामी पति फूलजी भील	103	-	0.250	0.250	
2	छगनलाल पिता देविंग भील	105/2	1.000	-	1.000	
3	वागजी पिता देविंग	153/3	1.000	-	1.000	कुआ कच्चा एक
4	कालु पिता नागजी भील	105/4	1.000	-	1.000	कुआ पक्का एक, टापरी एक
5	हिन्दु बगौरा	106	-	0.070	0.070	
6	नागजी पिता रूपा भील	107	-	0.760	0.760	

क्रमांक 606-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 02-अ-82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूतपाड़ा तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम भूतपाड़ा तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 21 -

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	पुंजा पिता बिज्या भील	145	0.200	-	0.200	
2	पुंजा पिता भेरा राव	141	1.040	-	1.040	
3	फूलजी, गोतमा, देवला पिता देहलिंग, हि. 1/4 राधी पिता मेहजी हि. 1/4, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग हि. 1/4, गलिया, रामा पिता भाणजी, हवजी, गोतमा पिता हूरजी, लालू, मनीष, ना.ना. नाबालिग पिता रामा ना.बा. सर माता, मसरू व मसरू बेवा रामा भील	138	-	0.600	0.600	
4	फूलजी, गोतम, गलिया, रामा पिता भाणजी, देवला पिता केहरिंग भील	11	-	0.420	0.420	
5	कंकूबाई बेवा बिज्या भील	100	-	0.180	0.180	
6	भावजी पिता नागजी भील	101	-	0.170	0.170	
7	वागजी, कालू, बादरू पिता हकरू व जाली बेवा हकरू, मकरा, राज्या पिता जोगडिया भील	86	-	0.100	0.100	
8	वरसिंह पिता मेहजी भील	84	-	0.170	0.170	
9	लालू पिता रूपा भील	113	-	0.100	0.100	
10	हवजी, गोतम पिता हूरजी, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग, लालू, मनीष ना.ना. नाबालिग सर परस्त मसरू व मसरू बेवा रामा भील	115	-	0.400	0.400	
11	बदिया, मडिया, नाकु पिता हकरू व पुंजी बेवा हकरू	117	-	0.400	0.400	
12	प्रकाश पिता मांगू, जीवा बेवा मांगू, शांती, शंभू पिता नाकु, दुर्गा पिता नाकु, ना.बा. सर परस्त माता, बददू व बददू बेवा नाकु	135	-	0.120	0.120	

क्रमांक 608-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. अ-82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सांसर तालाब तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम सांसर तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 32 -

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	रूपजी पिता वरसिंह	221/1/3	0.500	—	0.500	
2	माना, नरसिंह पिता कलजी, बददीबाई, देवाबाई पिता कलजी	222/4	1.400	—	1.400	
3	सूरज, नानालाल, लक्ष्मण पिता हरिराम, दूदा पिता देवा, ऐतरी, सुगन, नानी पिता देवा व हकरी बेवा देवा	222/1/1/4	0.320	—	0.320	
4	शंकर, शंभू पिता हुरजी मांगू, लीला पिता हुरजी	632/12	0.400	—	0.400	
5	नारजी पिता मानजी	632/40/1	0.100	—	0.100	
6	भाणजी पिता मानजी	632/40/2	0.100	—	0.100	
7	कैलाश, बंदी, छगन, विनोद पिता थावरा, पुत्री देवली, नानीबाई, गुडडी, सीमा पिता थावरा व कंचनबाई बेवा थावरा व हुकलीबाई बेवा थावरा भील	632/52	0.200	—	0.200	
8	शांती पिता उदा भील	686/1	0.340	—	0.340	
9	किशन पिता उदा भील	686/2	0.330	—	0.330	
10	किशन पिता उदा	685/5	0.100	—	0.100	
11	नाथु (वयस्क), भूरालाल, विनोद, विकास, राजू (अवयस्क) पिता मानसिंह, रकमा, पायल(अवयस्क) पिता मानसिंह, गुडडीबाई बेवा मानसिंह भील	686/3	0.330	—	0.330	
12	देवीलाल, कमल, अनिल, बबलू अजय पिता बंदी, अनीता, सुनीता पिता बंदी, मीराबाई बेवा बंदी भील	686/4	0.340	—	0.340	
13	रामचन्द्र पिता उदा भील	686/5	0.340	—	0.340	मकान 01
		685/8	0.500	—	0.500	मकान 02
14	जीवन, पप्पू, मुकेश पिता नराण, कमला, कारी, रामी, भूरी, कान्ता, मांगू, धाणुडी पिता नराण, गंगा बाई बेवा नराण	686/6	0.340	—	0.340	
		685/1	0.400	—	0.400	मकान 01 685/1 में मकान
15	जगजी, नारजी, प्रभू, रामिंगा पिता उंकार भील	683	—	0.200	0.200	
		688	—	0.400	0.400	
		690	—	0.080	0.080	
16	अमरा, बारजी, जोरजी, नारजी, मानजी पिता दीपा व बेबु पिता रायसिंह (अवयस्क) वेस्ती बेवा रायसिंह भील	184/2	—	0.300	0.300	

क्रमांक 610-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 01/अ-82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गढ़ीकटारा कला तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम गढ़ीकटारा कला तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 18 -

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	वरसिंह पिता फूलजी	59	—	0.65	0.65	
2	देवा पिता नाथू	106	—	0.80	0.80	
3	कचरु पिता फुलजी	107	—	1.15	1.15	
4	मोहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी, राजू बेवा धनजी, ओमप्रकाश, अनिल कुमार पिता मनमचन्द्र व सुमित्रा देवी बेवा मनमचन्द्र, कैलाश पिता थावरा व गुड्डा पिता बापुडा व रकमा बेवा बापुडा भील	108	—	0.60	0.60	
5	गोतम, थावरिया, नानिया, जीवणा पिता दित्या	109	—	0.44	0.44	
6	गोतम पिता वरसिंह	111/1	0.08	—	0.08	
7	दोलसिंह पिता वरसिंह	111/2	0.08	—	0.08	
8	गोतम पिता दूदजी	112	0.14	—	0.14	
9	मांगू पिता दूदजी	113	0.14	—	0.14	
10	हीरा पिता दूदजी	114	0.14	—	0.14	
11	हमीरा पिता बदिया	116	—	0.30	0.30	✓
12	मेहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी व राजूबाई बेवा धनजी	238	—	0.10	0.10	
13	वरसिंह पिता वेस्ता	58	0.40	—	0.40	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तन्वी सुंदरियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक/ 35 अ-82-2016-17-6177

सागर, दिनांक 29 जून 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीनाजी-रानीताल-बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीनाजी-रानीताल-बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : बीना
 4. पट.ह.नं.- : 32
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.40 है.

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमति गिरजाबाई जोजे बहादुरसींग साकिन ग्राम बीना तहसील देवरी जिला सागर	भूमिस्वामी	375	3.670	0.400	
योग:-			01	3.670	0.400	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ 25 अ-82-2016-17-6242

सागर, दिनांक 30 जून 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : रहली
 3. ग्राम : गोपालपुरा
 4. पट.ह.नं.- : 33
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.47 है.

:: अनुसूची-1 ::

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले साकिन कांसलपिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	4/1	0.040	0.010	
2	श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली	भूमिस्वामी	5/1 5/2	0.380 0.470	0.080	
3	श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली	भूमिस्वामी	7/1	0.020	0.250	
4	श्री विनोद कुमार, दिलीप कुमार पिता रतनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	7/2	0.270		
5	श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/2 9/7	1.040 0.080	0.020	
6	श्री धरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम बांसाकलां	भूमिस्वामी	9/4	0.250	0.040	
7	श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकलां	भूमिस्वामी	9/5	0.200	0.050	
8	श्री हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला तहसील पथरिया	भूमिस्वामी	9/6	0.200	0.020	
योग:-			10	2.950	0.470	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासन की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्ण अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2016-17-4723.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	बिजहा	0.626	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उदयपुर	141/2	0.132	कार्यपालन यंत्री, हरसी	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा
			141/3	0.025	उच्चस्तरीय नहर संभाग,	शाखा नहर की (बेरजा) मायनर के
			योग . .	0.157	क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिजौली	1555 0.090	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की (रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री) की 3 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 16 जून 2017

प्र. क्र. 06-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बनारपुरा	124/6 0.130 145 0.115 योग . . 0.280	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	गणेशपुरा	189 योग . . 0.139	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 17 जून 2017

प्र. क्र. 164-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कुंवरपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष की के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कुंवरपुर	निजी भूमि रकबा 286.33 है.	कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम वनहरीकला स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	वनहरीकला	निजी भूमि रकबा 190.585 है.	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 166-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम हनुमतपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	हनुमतपुर	निजी भूमि रकबा 81.235 है.	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 जून 2017

प्र. क्र.-05-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	लमायचा	1.78	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-06-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	चितुवाँ	1.17	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की गंधारी माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-07-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	फुलरा	0.31	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खराघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-08-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	दीवान की रूँद	0.70	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खराघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-9-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	खैरी	3.21	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खराघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	अगोरा	4.39	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खराघाट मध्यम सिंचाई योजना की अगोरा एवं लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-11-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	राजापुर	1.93	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खर्घाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 जून 2017

क्र. 390-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बरदाडीह	4.359	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय सतना जिला सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 22 जून 2017

क्र. 6890-भू-अर्जन-01-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अशासकीय खसरा क्रमांक	अर्जनीय संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हरदा	सिराली	डगांवाभट्ट	7/3	01 नलकूप	श्रीमती अनुसुईया बाई पति नर्मदाप्रसाद	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव.

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6896-भू-अर्जन-03-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अशासकीय खसरा क्रमांक	अर्जनीय संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हरदा	सिराली	जूनापानी	7	01 नलकूप	श्री शिवचरण ताराचंद	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	पहटकलॉ माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव.

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6900-भू-अर्जन-04-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अशासकीय खसरा क्रमांक	अर्जनीय संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हरदा	सिराली	धूपकरण	50/1	01 कुआँ	श्री रामाधार मोहनलाल	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव.

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 6902-भू-अर्जन-02-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अशासकीय खसरा क्रमांक	अर्जनीय संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हरदा	सिराली	कालकुण्ड	114/1	01 कुआँ	श्री गेंदालाल नान्हाजी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव.

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 24 जून 2017

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिरल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	फतेह का खिरक	15.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिरल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	लिधौराखास	10.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब के बाँध एवं स्पिरल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिरल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	लिधौरा उगड़	70.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब के बाँध एवं स्पिरल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिरल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	लिधौरा जंगल	40.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब के बाँध एवं स्पिरल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिरल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	गोटेट खास	35.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब की नहर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिरल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	रूपगंज	15.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध

में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	विजयपुर	15.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ. चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्पिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	पैतपुरा	15.000	भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 जून 2017

पत्र. क्र. भू-अर्जन-2016-17-2654.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पथरिया	सांसा	3.00	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह.	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
योग . . .			3.00		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

		(1)	(2)
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश		543/1	0.206
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,		585/1ख	0.350
राजस्व विभाग		579/5	0.162
शहडोल, दिनांक 19 जून 2017		539/3	0.352
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 4-अ-82-2016-17-2422.—चूंकि,		548/2	0.185
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई		532/3	0.308
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में		513	1.137
उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः		514	0.607
“भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और		511	0.547
पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013)		507	0.200
की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि		540	0.486
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		532/4	0.308
अनुसूची		539/1क	0.063
(1) भूमि का वर्णन—		539/1ख	0.063
(क) जिला—शहडोल		539/1ग	0.064
(ख) तहसील—ब्यौहारी		548/1क	0.123
(ग) ग्राम—बिजहा		548/1ख	0.124
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 52.486 हे. डूबक्षेत्र		548/1ग	0.123
खसरा	रकबा	578/1ख	0.422
नंबर	(हे. में)	570	0.607
(1)	(2)	575	0.462
573/2/1	0.203	573/3	0.405
475	1.058	506/3/1	0.135
478/6	0.255	529/2	0.196
469/8	0.809	529/1	0.197
515/4	0.142	478/5	0.170
550/1च	0.474	537	0.166
539/2	0.884	469/6	0.385
585/1क	0.350	478/1	0.125
579/1	0.369	549	1.999
590	0.457	599/1	0.133
481	0.749	599/2	0.665
581/1	0.536	469/4क	0.120
538/1	0.925	515/3	0.235
577/1	1.271	579/3	0.121
577/2/1	0.257	579/4	0.121
581/2/1	0.346	579/6	0.079
581/2/2	0.180	585/1ग	0.209
538/2/1	0.112	543/2	0.207
		598/2/ख	0.270

(1)	(2)	(1)	(2)
479	0.898	573/4	0.809
571/1/1	0.303	536/2	0.101
571/1/2	0.385	578/2	0.140
571/1/3	0.142	524/1/2	0.964
571/1/4	0.303	550/1/ग	0.158
571/2	0.081	550/1/घ	0.158
572/1	0.340	469/5	0.216
484/1	0.808	478/4	0.121
589	0.233	598/2/क	0.269
530	0.615	532/1	0.445
480	0.539	598/2/ग	0.270
515/2	0.186	473	1.364
550/1ख	0.617	579/2	0.125
469/3	0.202	885/2	0.393
478/3	0.335	580	0.328
534/2	0.370	515/1	0.093
582/2	0.270	506/1	0.539
574	0.235	532/2	0.173
482	1.125	535	1.482
512	1.023	506/3/2	0.135
469/7	0.128	477	1.036
550/1ङ	0.158	536/1/ख/1	0.100
536/1क	0.401	533/4	0.376
578/1क	0.566	590/2	0.100
525	0.809	524/1/1	1.000
527	0.583	550/2	0.312
547	1.236	550/1	0.314
534/1	0.185	538/2/2	0.256
582/1	0.271	577/2/2	0.257
476	0.943	581/2/2	0.346
541/1	0.176	553	0.140
541/2	0.176	478/2	0.171
542	0.370	572/2	0.340
542/2	0.175		
542/3	0.377		
542/4	0.920		
542/5	0.016		
510	0.405		
588	0.136		
579/7	0.079		
885/1घ	0.121		

कुल रकबा . . .52.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 जून 2017

प्र. क्र. 2-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन-और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—दुर्गापुर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.46 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

707

0.06

710

0.03

709/2

0.04

711

0.08

708

0.02

742

0.04

771

0.07

651

0.02

652

0.03

712

0.04

669

0.04

683

0.04

568

0.08

897

0.04

647

0.06

858

0.03

681

0.04

686

0.06

684

0.01

670

0.02

682

0.03

648

0.02

(1)

(2)

650

0.04

653

0.04

655

0.02

867

0.04

895

0.08

770

0.05

751

0.10

759

0.03

857

0.07

861

0.03

862

0.05

863

0.02

764

0.11

769

0.02

773

0.08

925

0.06

928

0.02

930

0.03

919

0.07

567

0.06

898

0.01

924

0.02

927

0.04

865

0.05

566

0.05

768

0.03

894

0.05

929

0.11

709/1

0.02

772

0.02

752

0.13

668

0.01

कुल रकबा. . 2.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—खराघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी

भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—पिसनारी
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.10 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90/1/1, 90/1/2, 90/2	0.16
111	0.02
110	0.12
113	0.04
114	0.01
121	0.06
104	0.07
101	0.01
102	0.10
126	0.20
108	0.06
109	0.04
127/1, 127/2	0.12
100	0.01
129	0.01
98/1, 98/2	0.03
128/1, 128/2	0.04
कुल रकबा.	1.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—खराँघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 22 जून 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—बड़ामलहरा
(ग) ग्राम—कुड़ैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—109.696 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20/1	0.235
20/2	0.364
25	0.210
29/4/1	0.161
30	0.304
31	0.611
32	0.405
33/1/1	0.636
33/2	0.664
34	0.745
44	0.066
85/2	0.445
85/3	0.704
87	0.674
91/2	0.226
95	0.200
99/3	1.295
116	0.213
117	0.283
118	0.243
119	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
121	0.287	170	0.486
122	0.405	171/1	0.297
123	0.121	171/2	0.299
124	0.210	171/3	0.298
125	0.425	171/4	0.298
126/2	0.344	171/5	0.297
131	0.401	174/2	0.295
133	0.263	177	0.210
135	0.028	181	0.328
136	0.069	183/1	0.338
137/1	0.322	183/2/1	0.038
137/2	0.312	183/2/2	0.300
138	0.247	186	0.821
140	0.032	187	0.397
141	0.251	188	0.292
142	0.401	190	0.923
143	0.154	194	0.541
144	0.344	197/2	0.283
145	0.279	199	0.287
146	0.304	200/1	0.359
147	0.170	200/2	0.358
148	0.146	201	0.231
150	0.534	202	0.255
151	1.214	203	0.032
152	0.567	205	0.312
160	0.749	206	0.437
161/1	0.118	207	0.299
161/2	0.117	214	0.417
161/3	0.079	216/1	0.147
161/4	0.074	216/2	0.148
161/5	0.082	217	0.939
163/1	0.142	219/1/1	0.120
163/2	0.141	219/1/2	0.121
164/1	0.158	219/2	0.281
164/2	0.158	220	0.057
165/1	1.603	221	0.397
165/3/1	0.401	226/1	0.251
165/3/2	0.400	226/2	0.251
165/2	0.801	227/1	0.336
166	0.522	227/2	0.336
167	0.845	228	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
230	0.579	272	0.125
232	0.717	273	0.186
235/1	0.586	274	0.198
235/2	0.587	275	0.162
237/1	0.596	276	0.024
237/2	0.555	277	0.089
237/3	0.554	278	0.045
237/4	0.450	279	0.040
237/5	0.354	280	0.004
238/1/1	0.051	281	0.008
238/1/2	0.051	282	0.020
238/1/3	0.053	283	0.012
238/2	0.051	285/1	0.296
239/1/1	0.153	285/2	0.295
239/1/2	0.153	287	0.316
239/1/3	0.152	288	0.190
239/1/4	0.153	289	0.134
239/2	0.144	290	0.567
240/1/1	0.121	291	0.502
240/1/2	0.091	293	0.709
240/1/3	0.031	294	0.057
240/2 शा. न. (240/3, 240/4)	0.527	295	0.809
241/1/1	0.129	296/1	0.071
241/1/2	0.129	296/2	0.200
241/1/3	0.127	297	0.049
241/2	0.129	298/1	0.016
259/1	0.183	298/2	0.012
259/2	0.040	302	0.105
260/1	0.004	306	0.036
260/2	0.004	307	0.611
262/1	0.204	308	0.008
262/2	0.205	309	0.575
263/1	0.023	310	0.356
263/2	0.022	312	0.729
264	0.020	313	0.049
265	0.024	315	0.308
267	0.190	316	0.170
269	0.040	317	0.020
270	0.182	318	1.052
271	0.119	320	1.396
		321	0.049
		322	0.275

(1)	(2)	(1)	(2)
323	0.239	364	0.049
324	0.640	366/1	0.053
325	0.057	366/2	0.005
326	0.397	377	0.057
327/1/1	0.086	378	0.213
327/1/2	0.086	379	0.182
327/1/3	0.086	380	0.081
327/2	0.086	381/1	0.222
328/1	0.040	381/2	0.222
328/2	0.013	382/1	0.020
329/1	0.193	382/2	0.020
329/2/1	0.192	383/1	0.174
329/2/2	0.192	383/2	0.174
329/2/3	0.192	384	0.283
330/1/1	0.137	385/1	0.016
330/1/2	0.137	385/2	0.018
330/1/3	0.137	386	0.057
330/2	0.136	389	0.138
331/1	0.008	390	0.291
331/2	0.008	391/1	0.297
331/3	0.008	391/2	0.033
331/4	0.008	392/1	0.200
332/1	0.024	392/2	0.201
332/2	0.025	393/1	0.027
333/1/1	0.062	393/2	0.026
333/1/2	0.063	394/1	0.182
333/1/3	0.063	394/2	0.182
333/2	0.095	395	0.494
336	0.073	396	0.142
337	0.065	397	0.053
338	0.409	399/1	0.053
339	0.061	399/2	0.053
340/1	0.089	401/1	0.087
340/2	0.089	401/2	0.087
341/1	0.083	402	0.073
341/2	0.083	404	0.406
356	0.031	405/1	0.018
360	0.004	405/2	0.018
361	0.184	406/1	0.546
362	0.036	406/2	0.546
363	0.310	407/1	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
407/2	0.056	509/1	0.101
409	0.028	509/2	0.101
410/1/1	0.489	628/1	0.077
410/1/2	0.559	628/2	0.014
410/2	0.103	631/1	0.008
411	0.073	631/2/1	0.005
412	0.269	631/2/2	0.014
413	0.052	631/2/3	0.026
415	0.142	632/1	0.249
418/1	0.040	632/2	0.239
418/2	0.021	633	0.235
419/1	0.009	634	0.534
419/2	0.009	635/1	0.184
419/3	0.009	635/2	0.184
419/4	0.013	683/3	0.032
419/5	0.013	685/1	0.053
420/1	0.279	687	0.214
420/2	0.332	689	0.134
420/3	0.163	690	0.336
420/4	0.186	691	0.263
420/5	0.220	692/1	0.325
421/1	0.062	692/2	0.412
421/2	0.063	693	0.299
421/3	0.021	694	0.040
425/1	0.720	695	0.275
425/2	0.720	698	0.425
426/1	0.024	699	0.706
426/2	0.020	700	0.352
427	0.081	701	0.672
428/2	0.030	702	0.466
429	0.057	703	0.077
435/1	0.347	704	0.210
435/2	0.096	706	0.455
436/1	0.024	707/3	0.249
436/2	0.020	707/4	0.068
436/3	0.005	707/5	0.165
436/4	0.004	708	0.255
451	0.035	709	0.668
452	0.328	710/1/1	0.192
453/1	0.010	710/1/2	0.192
455	0.023	710/1/3	0.193

(1)	(2)	(1)	(2)
710/1/4	0.288	751/1	0.145
710/1/5	0.288	751/2	0.173
710/2	0.567	751/3/1	0.116
711/1	0.676	751/3/2	0.116
711/2	0.547	754/2	0.311
711/3	0.849	759/1	0.400
711/4	0.571	759/2	0.400
712	0.769	764	0.146
717	0.713	777/8/1	0.039
718	0.890	777/8/2	0.039
719	0.983	777/8/3	0.180
720	0.466		
721	0.672		योग . . . <u>109.696</u>
722	0.450	(2)	बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम कुड़ैला की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है।
723	1.173	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा, छतरपुर में किया जा सकता है।
724	0.494		
725	1.708		
726	1.100		
729	0.045		
731	0.437		
732	0.057		
740/1	0.687		
740/2	0.385		
740/3	0.728		
741/1	1.066		
741/2	1.068		
742/1	0.307		
742/2	0.308		
742/3/1	0.153		
742/3/2	0.154		
743/1	0.464		
743/2/1	0.335		
743/2/2	0.799		
743/2/3	1.599		
744/1	0.445		
744/2	0.445		
744/3	0.445		
746	1.376		
748/1	0.371		
748/2	0.381		
748/3/1	0.186		
748/3/2	0.185		

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—बड़ामलहरा
 (ग) ग्राम—बन बरेला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—11.235 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
43/1	0.157
43/2	0.100
43/3	0.100
43/4	0.141
43/5	0.098
43/6	0.144

(1)	(2)	(1)	(2)
44/3	0.178	621/6	0.036
73/2	0.445	621/7	0.041
169/3	0.174	628/1	0.105
287/1	0.283	628/2	0.130
290/2	0.021	628/3/1	0.076
295/3	0.190	628/3/2	0.076
303/1/3	0.048	631/1/1	0.038
306/2	0.129	631/1/2	0.038
306/3	0.130	631/2	0.078
323/3	0.421	631/3	0.078
334/4	0.061	631/4	0.121
334/9	0.035	631/5	0.117
334/10	0.191	631/6	0.121
345/2	0.129	631/7	0.118
428/2/6	0.160	648/1	0.034
453/1	0.041	648/2/1	0.017
466	0.352	648/2/2	0.018
467	0.640	649/1	0.083
502	0.089	649/2/1	0.042
504	0.332	649/2/2	0.041
563	0.121	662	0.279
574	0.214	663	0.220
613/1	0.128	691	0.083
613/2	0.128	692/2	0.121
613/3	0.513	692/3	0.142
617/1	1.521	694	0.200
619/1	0.096		
619/2	0.097		
619/3	0.097		
619/4	0.150		
619/5	0.150		
619/6	0.150		
619/7	0.150		
620/1	0.036		
620/2	0.036		
620/3	0.036		
620/4	0.057		
620/5	0.057		
620/6	0.053		
620/7	0.057		
621/1	0.024		
621/2	0.024		
621/3	0.024		
621/4	0.037		
621/5	0.037		
			योग : . 11.235
		(2)	बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम बन्न बरेला के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
		(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा, छतरपुर में किया जा सकता है.
			प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
			अनुसूची
		(1)	भूमि का वर्णन—
		(क)	जिला—छतरपुर
		(ख)	तहसील—बड़ामलहरा

(ग) ग्राम—सरकना	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—39.422 हेक्टर.	432/3	0.104
खसरा नं.	433	0.316
	453/2	0.014
(1)	454	0.093
	457	0.122
47	459	0.300
257/9/4	464	0.906
260/1	465	0.206
261/क	466	0.121
262/क/1	467	0.077
262/क/2	468	0.089
263/क/1	469	0.194
263/क/2	470	0.109
263/ख	471	0.045
265/क/1	472	0.040
265/क/2	473	0.154
265/ख	474	0.069
266	483/2	0.114
269/1/1	490	0.422
269/1/2	491/2	0.077
269/2	493	0.354
269/3	494/क	0.211
270	494/ख	0.211
274/1	495	0.506
274/2	505/1	0.337
274/3	507	0.409
274/4	508/1	0.060
275/1	508/2	0.054
275/2	511	0.069
278	512	0.032
279	513/1	0.058
317/1	514/1	0.170
317/2/2	514/2	0.089
317/2/1	515	0.061
317/2/4	517/1	0.097
318/3	517/2	0.097
320/1/2	518/1	0.060
415/1	518/2	0.061
415/2	519/1	0.061
417/1	519/2	0.060
418	520	0.091
427/2/3	521/1	0.020
427/2/4	521/2	0.006
432/1	522	0.032
432/2		

(1)	(2)	(1)	(2)
523/1/2	0.119	1150	0.505
523/4	0.010	1151	0.028
554/2	0.405	1152	0.599
555	0.414	1153	0.458
556	0.172	1154	0.275
557	0.201	1155	0.478
558	0.085	1156	0.486
955/3/2	0.350	1157	0.474
955/2	0.243	1158	0.182
957	0.077	1159	0.227
958	1.060	1160	0.057
959	0.388	1161	0.591
963	0.279	1162	0.478
964	0.498	1167/1	0.324
965	0.360	1167/2	0.324
966	0.160	1168	0.368
967	0.063	1142/1168	0.336
968	0.248	1169	0.089
969	0.162	1170	0.235
970	0.287	1171	0.065
971	0.154	1172	0.101
972	0.036	1173	0.093
973	0.532	1174/1	0.021
974	0.143	1174/2	0.008
988/1	0.167	1180/1	0.043
988/2	0.126	1180/2	0.013
989/1/2	0.237	1181/1	0.077
989/2	0.368	1181/2	0.010
989/3/1	0.399	1181/3	0.081
989/3/2/1	0.110	1181/4	0.031
989/3/2/2	0.289	1182	0.061
990/1	0.092	1183/1	0.059
990/2	0.184	1183/2	0.120
991/1	0.381	1183/3	0.060
1136/3	0.595	1184	0.020
1137/1	0.580	1185/1	0.032
1137/2/1	0.219	1185/2	0.045
1137/2/2/1	0.228	1185/3	0.032
1137/2/2/2	0.129	1185/4	0.020
1139/1	0.080	1186	0.141
1145	0.720	1189	0.269
1146	0.083	1205/2/1	0.029
1148	0.120	1207	0.340
1149	0.114	1208	0.628

(1)	(2)	(1)	(2)
1209	0.308	238	0.275
1210/1	0.073	239	0.675
1210/2	0.044	240	0.057
1211	0.046	242/3	0.125
1222	0.051	246	0.526
योग . . .	<u>39.422</u>	248	0.040
(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम सरकना के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.		249	0.190
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है.		250	0.170
		251	0.206
		252	0.150
		253	0.036
		254	0.153
		255	0.295
प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		256	0.040
		257	0.478
		333	0.800
		400/1/1	0.400
		400/1/2	0.377
		402/1	0.196
		402/2/1	0.076
		402/2/2	0.315
		414/2	1.135
		415	0.041
		423	0.055
(1) भूमि का वर्णन—		425	0.151
(क) जिला—छतरपुर		426	0.231
(ख) तहसील—बड़ामलहरा		427	0.170
(ग) ग्राम—सौरखी		428	1.281
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—111.899 हेक्टर.		430/1	0.566
खसरा नं.	अर्जित रकबा	430/2	0.163
	(हे. में)	430/3	0.566
(1)	(2)	436	0.671
27	0.237	438	0.229
32	0.777	440	0.080
54	0.668	502/1	0.303
56	0.753	502/2	0.304
61/2	0.862	537	0.370
62	1.011	541	0.300
64/2	0.265	542	0.397
64/3	0.265	543	0.595
64/4	0.266	547	0.887
64/5	0.800	582	0.684
79	0.200	589	0.017
108/2	0.263	595	0.378
207/2	0.525		

(1)	(2)	(1)	(2)
601	0.113	766/2	0.189
603	0.307	774	0.194
604	0.757	775	0.352
605	0.081	777/1	0.145
612	0.138	777/2	0.146
613	0.194	776	0.190
614	0.664	778	0.101
618	0.188	779	0.146
619	0.217	780	0.129
620	0.106	781/1	0.178
621	0.192	781/2	0.178
624	0.108	782	0.040
636/2	0.500	783	0.085
636/4	0.333	784/1	0.131
636/5	1.020	784/2	0.131
638/6	0.192	786	0.409
640	0.601	787/2/1	0.481
710	0.125	787/2/2	0.263
713	0.828	787/3	1.173
715	0.034	789	2.792
716	0.835	790	0.174
718	0.590	791	0.364
719	0.517	792	0.583
722	0.434	793	0.283
723	0.458	794	0.057
724	0.032	795	1.032
725	0.336	796	0.316
726	0.263	797	0.061
727	0.397	798	0.283
728	0.101	799	0.065
729	0.129	800	0.291
731	0.644	802	0.235
732	0.210	803	0.049
733	0.110	804	0.101
734	0.040	805	0.450
735	0.299	806	0.159
736	0.243	807	0.198
737	0.036	808	0.049
743	0.042	811	1.625
744	0.114	815/1	0.376
745	0.195	815/2	1.072
755/1	0.390	817/1	0.113
762	0.032	819	0.288
766/1	0.098	826	0.215

(1)	(2)	(1)	(2)
830	0.239	1177	0.061
831	0.024	1180	0.162
832	0.777	1183	0.182
833	0.332	1184	0.304
834	0.802	1185	0.012
836/1	1.554	1186	0.324
837/1	0.161	1187	0.255
837/2	0.289	1188	0.243
842	0.100	1189	0.024
844	0.178	1190	0.186
845	0.073	1191	0.409
848	0.015	1192	0.101
850	0.202	1193	0.243
854/3	0.101	1194	0.336
857	0.170	1195	0.036
875	0.300	1196	0.482
905	0.046	1197	0.486
952/min 1	1.620	1198	0.257
993/1	0.035	1199	0.024
993/2	0.035	1200	0.404
993/3	0.035	1203	0.103
1021	0.121	1204	0.016
1071	0.170	1205	0.067
1144	0.036	1231/1	1.100
1145	0.040	1242/3	0.854
1146	0.012	1267	0.008
1152	0.028	1289/min 1	0.802
1153	0.263	1294	0.729
1156	0.016	1295	0.223
1157	0.243	1308/2	0.769
1158	0.016	1320	0.328
1159	0.142	1325	0.382
1160	0.081	1331	0.875
1161	0.041	1338	0.355
1162	0.097	1339	0.739
1166	0.036	1400	0.179
1167	0.093	1401	0.134
1168	0.142	1402	0.214
1169	0.142	1403	0.206
1171	0.097	1404	0.198
1172	0.040	1405	0.202
1173	0.089	1406	0.510
1175	0.777	1409/2	1.981
1176	0.388	1410	0.765

(1)	(2)	(1)	(2)
1414	0.316	1546	0.287
1415	0.089	1550	0.007
1416	0.591	1566	0.145
1417	0.387	1568	0.089
1418	0.024	1570	0.042
1419/1	0.002	1571	0.344
1419/2	0.255	1572	0.045
1435	0.709	1576	0.283
1448/1	0.202	1577	0.441
1448/2/1	0.196	1583	0.413
1448/3/1	0.223	1587	0.082
1453	0.619	1588	0.200
1454	0.737	1590	0.032
1455	0.397	1601	0.612
1459	0.272	1604/1	0.061
1460	0.324	1605	0.202
1461	0.437	1648	0.097
1462	0.089	1651	0.037
1463	0.400	1652	0.142
1464/2/3	0.045	1659	0.757
1464/3	0.914	1660	0.073
1464/4	0.285	1661	0.296
1465	0.033	1662/1	0.100
1470	0.049	1662/2	0.379
1479	0.004	1663	0.274
1481/2	0.451	1664	0.500
1482	0.182	1665	0.922
1484	0.137	1666	1.137
1485	0.021	1667	0.375
1486	0.084	1668	0.193
1487/1/1	1.018	1669	0.152
1487/1/2	0.086	1671	0.030
1487/2/1	0.305	1673	0.506
1489	0.052	1674/1	0.611
1526	0.134	1756	0.015
1529	0.020	1815	0.088
1530	0.809	1816	0.170
1531	0.138	1818	0.534
1532	0.162	1821	0.243
1534	0.700	1822	0.287
1535	0.723	1823	0.829
1538	0.540	1824	0.223
1543	0.247	1825	0.648
1544	0.200	1827	0.200

(1)	(2)
1828	0.413
1830	0.081
1832	0.103
1834	0.023
1835	0.520
1836	0.340
1837	0.162
1838	0.821
1839	0.012
1840	0.361
1874	0.081
1875	0.089
1878	0.057
1882	0.223
1884	0.162
1885	0.065
1886	0.057
1887	0.342
1888	0.075
1891	0.121
1892/1	0.628
1892/2	0.769
1892/3	0.478
1894	0.078
class no. p 1 beet sorkhi	1.478
योग . . .	111.899

(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम सौरखी की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 1 जुलाई 2017

प्रक. क्र. 01-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—करहिया, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.679 हेक्टेयर

(शासकीय भूमि 0.370 हे. एवं निजी भूमि का रकबा 2.309 हे.)

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
60/1, 60/2, 60/3, 60/4	0.546
38	0.043
27	0.146
61/1, 61/2	0.250
48	0.028
39	0.196
28	0.183
49	0.592
47	0.001
40	0.006
24	0.370
445/48	0.006
44/1, 44/2, 44/3	0.295
26	0.017
कुल रकबा . . .	2.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है पश्चिम सेन्ट्रल रेल्वे जबलपुर द्वारा झुकेही कमोर कार्ड रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बो के पुर्नवासन और पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जून 2017

क्र. 3993-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-44-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—निहाली
(घ) क्षेत्रफल—0.770 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
15/1	0.220
15/2/1	0.080
15/2/2	0.120
15/2/3	0.160
15/2/5	0.120
15/4	0.070
योग . . .	<u>0.770</u>

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3994-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-13-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—रेहगुन
(घ) क्षेत्रफल—9.114 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
12/1	0.100
12/3	0.085
12/7	0.012
12/15	0.120
32/1	0.210
32/2, 32/3, 33/2	0.010
33/1	0.138
34/1	0.062
34/2	0.152
35/1	0.065
35/2	0.068
35/3	0.068
35/4	0.052
36/2	0.195
218/2	0.068
37/4	0.082
38/1	0.053
38/3/1	0.040
38/4	0.052
38/7	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
40/4	0.030	184/3	0.072
40/5	0.065	186/1, 187/4	0.100
40/7	0.135	187/6	0.060
40/8	0.048	186/2	0.315
40/9	0.030	187/5	0.100
43/1/1	0.050	187/3	0.052
43/2/1	0.125	187/1, 188/1,	0.020
43/3	0.028	188/2, 190/2	
43/4	0.025	187/2	0.060
201/5	0.037	196	0.435
43/5	0.025	200/2, 217	0.128
43/6	0.017	201/1	0.054
45/1	0.080	201/2	0.055
45/2	0.100	201/4	0.045
45/7	0.060	201/6	0.048
227/2	0.080	202/1	0.031
45/8	0.075	202/2	0.037
46/1	0.125	202/3	0.037
47/1, 65/4	0.170	204	0.076
47/2	0.165	218/1	0.058
47/3, 65/3	0.140	205	0.073
93/2	0.110	206/1	0.050
93/9	0.140	206/2	0.045
96/2	0.050	209/1	0.068
101/3	0.125	209/4	0.045
101/5	0.108	291/3, 292/6, 292/7	0.185
103/2	0.060	210	0.068
103/3	0.080	223, 224/1	0.090
150/2/5	0.010	228/2	0.078
153/4, 154/5, 154/18	0.023	267	0.090
153/7, 154/10	0.045	274/2	0.010
153/10, 154/13	0.061	277/1	0.065
153/12, 154/15	0.040	277/2	0.053
153/19, 154/24	0.022	277/3	0.055
153/20, 154/25	0.016	277/4	0.110
154/3, 235/2	0.124	278/2, 278/3/1	0.087
154/16, 153/13	0.036	283	0.025
172/2	0.005	289/1	0.085
172/3	0.053	289/2	0.092
181/3	0.090	289/3	0.047
181/7	0.060	289/4	0.050
183/1	0.065	290/1, 291/1,	0.262
183/2	0.560	292/3, 292/4/1/क	

(1)	(2)	(1)	(2)
291/2, 292/4, 292/5	0.098	39/2	0.094
296	0.174	39/3, 54/4	0.060
297	0.136	54/6/1	0.030
योग . . .	<u>9.114</u>	54/8/1	0.028
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		54/16/1ख	0.045
		54/16/1क	0.065
		64/1	0.100
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		64/2	0.095
		72/1	0.070
		72/2	0.015
		82/6	0.254
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		82/9	0.010
		88/3	0.064
		89/1	0.170
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		89/5	0.128
		90/6	0.025
		90/4	0.055
क्र. 3996-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-26-अ 82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		90/5	0.035
		91/1	0.116
		91/2	0.094
		91/5	0.054
		92/1	0.030
		91/7	0.008
		91/9	0.080
		92/2	0.075
		92/3	0.038
		108	0.125
(1) भूमि का वर्णन—		113/1/4	0.020
(क) जिला—बड़वानी		113/1/5	0.022
(ख) तहसील—राजपुर		113/1/6	0.054
(ग) ग्राम—कासेल		133/2	0.108
(घ) क्षेत्रफल—4.904 हेक्टेयर.		135, 136/3	0.045
खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हे. में)	113/2	0.050
(1)	(2)	114/2	0.032
8/3	0.065	114/3	0.028
18/2, 19/4, 217/4	0.075	115/3	0.078
19/1	0.090	115/4	0.062
19/3	0.048	120/9	0.115
39/1	0.210	122	0.285

(1)	(2)
133/1/क	0.018
144	0.100
146/1/2	0.110
146/2/1	0.040
146/2/2	0.028
147/12	0.044
179/1	0.062
179/4	0.080
179/5	0.035
189	0.030
216/2, 218	0.150
217/5	0.036
223, 231/3, 231/4	0.402
226/1, 231/9	0.095
226/3, 227/2	0.015
227/1	0.020
227/3	0.050
228/2, 229/2	0.032
229/3	0.022
229/4	0.056
231/18	0.035
योग . .	<u>4.904</u>

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3995-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-27-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—बुदरा
(घ) क्षेत्रफल—2.036 हेक्टेयर.

खसरा नंबर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
1/1	0.222
1/2	0.120
27/4	0.104
28/1	0.040
27/5, 27/9, 29/2, 29/12	0.090
27/8, 29/5/1	0.040
28/3	0.100
28/4	0.055
29/5	0.115
29/6	0.100
29/7	0.010
49/1	0.132
49/3	0.130
52/2, 53/1	0.070
124/1	0.260
124/2, 125/2	0.152
126/1/2	0.056
152/1, 152/4, 153/3	0.014
149	0.068
155/2	0.050
156/2	0.048
156/3	0.060

योग . . 2.036

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।	(1)	(2)
	43/8, 43/13, 46/2, 46/12, 43/14	0.020
(5) समूचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।	43/17	0.020
	43/18	0.020
	43/19	0.020
क्र. 3997-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-38-अ 82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	115/1, 118/6/ख	0.125
	120/2	0.040
	121/1/1	0.030
	121/1/2	0.080
	121/14	0.060
	121/15	0.058
	125	0.054
अनुसूची	129/4, 131/1, 132/1	0.010
(1) भूमि का वर्णन—	131/2, 132/2	0.018
(क) जिला—बड़वानी	134/1/क, 135/2क	0.035
(ख) तहसील—राजपुर	134/1/ग, 135/2ग	0.196
(ग) ग्राम—रणगांव रोड	134/5	0.020
(घ) क्षेत्रफल—4.476 हेक्टेयर.	134/6	0.020
	150/2	0.008
खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	
4/4, 4/8, 5/3, 14/2	0.005	166/3, 168/2
4/5, 5/2, 13/2, 14/4	0.215	168/1
11/1क	0.180	169/4, 169/6
12/4	0.045	174/2, 175/1
14/1	0.042	174/5, 175/4, 176/2
15/1	0.038	174/6, 175/3
24/2/2, 38/2	0.210	177/1, 211/3
24/2/3	0.068	177/2, 211/2
24/2/4	0.032	178/1
24/4	0.084	179/3
39/1/2	0.030	179/8
43/2/1	0.030	179/4
43/6	0.095	179/6
46/3, 46/9	0.045	179/7
43/4, 43/12	0.098	179/9
		180/8
		180/9
		180/10
		180/14

(1)	(2)	(ग) ग्राम—जलगोन	(घ) क्षेत्रफल—7.856 हेक्टेयर.
180/15	0.036		
181/1	0.156	खसरा	अधिग्रहित किया जाने वाला
186/2	0.010	नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)
196/2	0.005	(1)	(2)
196/3	0.106	6/2, 6/3	0.050
196/4	0.030	6/10	0.010
196/5	0.030	9/1	0.070
198/1	0.100	11/8	0.008
198/2, 199/1	0.175	11/7	0.015
199/3, 200/1, 203, 204	0.160	11/9	0.020
198/4	0.065	11/10	0.020
207/7	0.030	11/11	0.020
	योग . . . 4.476	12/8	0.100
		14/2	0.035
		14/4, 15/3	0.028
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		14/5, 15/8	0.025
		15/5	0.040
		149/9	0.070
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		15/7	0.025
		140/4	0.090
		149/8	0.075
		17/3	0.210
		20/1, 31/4	0.205
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		20/2, 31/7	0.030
		26	0.120
		31/10	0.055
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		27/2, 27/3, 85/2, 90/2	0.220
		27/7, 27/8, 86/3	0.030
		31/1	0.095
क्र. 3998-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-21-अ 82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		31/2, 31/3, 32/9	0.010
		31/11	0.120
		55/6, 56/1	0.050
		55/7, 56/2	0.065
		55/8	0.080
		56/3	0.100
		56/4	0.080
		84/2	0.022
		104/1	0.008
		84/3	0.005
		104/2	0.190
		84/4	0.055
		84/7	0.050

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(1)	(2)	(1)	(2)
85/1, 90/3, 90/4, 92/3	0.170	155/7	0.045
103/4, 111/7, 111/8,	0.090	155/4	0.090
111/2/3, 113/1		155/5/2	0.170
104/6	0.100	163/5	0.095
104/7, 105/6, 111/4,	0.140	165/1	0.040
111/5		165/5	0.372
111/9, 113/5, 114/2	0.070	165/2	0.008
133/3	0.008	165/4	0.240
133/7	0.110	166/2	0.100
142/1	0.070	166/3	0.080
142/2	0.060	167, 168/4	0.165
142/3	0.016	168/5	0.190
142/4, 143/1	0.030	182/3, 182/8	0.245
142/6, 143/4	0.016	182/7	0.150
142/5	0.035	182/16	0.055
142/8	0.025	182/17	0.100
142/9	0.080	183/3	0.035
142/11	0.060	184/8	0.130
142/12	0.028	191/4	0.140
143/2	0.040		
143/3	0.085		
144/4	0.090		
144/5	0.155		
184/5	0.025		
149/1	0.100		
149/4	0.025		
149/5	0.170		
149/6	0.070		
149/10	0.065		
154/1, 154/2,	0.250		
173/1, 173/2			
152	0.090		
174/2	0.060		
174/10	0.075		
153/1	0.040		
153/2	0.055		
153/3, 154/3	0.100		
155/1	0.042		
155/2	0.050		
155/6, 171	0.175		
155/3	0.035		

योग . . . 7.856

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3999-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि

पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—मुण्डला
(घ) क्षेत्रफल—0.085 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
58/3	0.050
58/9	0.035
योग . .	<u>0.085</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4000-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-30-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—मोयदा

(घ) क्षेत्रफल—1.472 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
18/3, 36	0.080
37/2	0.070
46/1	0.196
46/2	0.030
47/2	0.025
49/5	0.200
54	0.135
56/3	0.010
56/4	0.005
57/1	0.020
57/2	0.175
97	0.390
99/2	0.080
99/5	0.020
99/6	0.020
99/7	0.016
योग . .	<u>1.472</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4001-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-31-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—रोझानी
(घ) क्षेत्रफल—2.857 हेक्टेयर.

खसरा अधिग्रहित किया जाने वाला
नंबर क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
6/4, 7/1	0.054
7/2	0.060
7/3	0.074
10/2	0.110
11/1, 11/2	0.045
14/1/4	0.020
14/1/10	0.020
14/1/8	0.020
14/1/11	0.028
14/1/9	0.018
14/2	0.035
14/3/1	0.085
14/4	0.074
14/14	0.050
14/16	0.005
17/1/2, 17/1/3, 17/5	0.186
17/4, 18	0.140
31	0.010
108/1, 108/2, 110/1	0.120
19	0.135
21/1	0.055
21/2	0.088
22/4	0.020
22/1	0.155
22/2	0.034
22/3	0.034
24/2	0.025
25/1/2/2/1	0.025
25/1/2/2/2	0.010
25/1/1/2, 25/1/2/1	0.060
30/188, 25/189	0.060
32	0.145
33/2	0.032

(1)	(2)
62/2	0.028
134/1	0.020
134/2, 134/5	0.150
134/3	0.095
134/4	0.094
140/1	0.044
145/12	0.062
142	0.060
145/14	0.055
145/15	0.062
145/16	0.215

योग . . . 2.857

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4003-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-17-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर

- (ग) ग्राम—नरावला
(घ) क्षेत्रफल—1.971 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
29/1, 29/2	0.090
29/3, 31/3	0.100
32/2	0.066
32/3	0.046
32/5	0.044
33/1, 35/3	0.075
33/3	0.070
34/1, 35/2/2/क, 36/2/क	0.074
34/4	0.076
37/1	0.040
37/2	0.038
37/5	0.042
37/10	0.042
38/9	0.078
38/10	0.062
45/4	0.065
46/1	0.106
46/2	0.086
47/1	0.014
47/8	0.050
47/3	0.047
47/4	0.038
48/4	0.036
47/4/1	0.048
102/1	0.092
102/17	0.065
102/12	0.010
102/16	0.102
102/18	0.032
105/1	0.135
105/2	0.050
105/3, 106/2	0.052
योग . .	<u>1.971</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं

पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4004-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-20-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—पीपरी बुजूर्ग
(घ) क्षेत्रफल—6.320 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
18/1, 18/3, 19/3	0.050
18/2/1, 19/2/1	0.150
18/2/2, 19/2/2	0.046
18/2/3, 19/2/3	0.050
18/2/4, 19/2/4	0.045
18/2/5, 19/2/5,	0.065
20/3/5	0.015
19/5	0.070
20/1	0.065
20/2	0.043
20/4, 21/2	0.020
26/3/1ख	0.040
21/1, 25/3, 26/3/1क	0.055
24, 25/2	0.052
25/1, 154/3	0.088
154/3	

(1)	(2)
29/1/2	0.080
53/1	0.435
54/1	0.050
54/4	0.080
54/10	0.032
54/11	0.035
54/12	0.036
58/2, 58/3, 60/3, 60/4, 73/6, 60/5	0.330
97/2, 99/2, 106/2	0.040
97/4/1	0.154
97/4/2	0.106
97/5/1	0.152
97/7, 98/6	0.236
98/1	0.038
98/2	0.202
98/5	0.050
98/8	0.100
105/1	0.005
105/2	0.138
105/6	0.070
105/3	0.050
105/4	0.115
105/11	0.064
106/1	0.085
106/3	0.220
110/2	0.230
116/1/1	0.045
116/1/2	0.140
116/3, 118	0.130
120	0.120
121/1, 122	0.075
131/2	0.140
131/3	0.005
132/1, 132/2	0.175
132/3, 133/1	0.108
132/6, 133/2	0.060
139/4	0.008
140/1	0.090
136/1, 137/3	0.045
136/2	0.055
136/3	0.075
139/5	0.125
143/2, 143/4	0.060
144/1	0.034

(1)	(2)
143/3, 144/6	0.095
143/5, 144/8, 145/2	0.078
144/2	0.048
144/5	0.074
144/7	0.038
147/3, 148/3	0.134
154/1	0.080
161/1	0.220
161/2	0.058
162/2	0.018
योग . . .	<u>6.320</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4005-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-28-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—बासवी
(घ) क्षेत्रफल—5.827 हेक्टेयर.

खसरा	अधिग्रहित किया जाने वाला
नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/2	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
3/1	0.220	245/1	0.098
3/2	0.195	245/2	0.085
5/1, 6/1	0.495	246/2	0.085
5/2, 6/2	0.135	246/3	0.048
5/3	0.215	246/4	0.024
5/4, 5/6, 6/7, 6/8, 7/2	0.202	246/7	0.030
27/7	0.125	246/5	0.035
27/8	0.085	249	0.120
29/1	0.090	251	0.250
29/8	0.140	252/2	0.230
54/1, 55/3	0.062	252/6	0.115
54/3	0.045	255/4, 255/5	0.078
55/2	0.085	256	0.200
55/1	0.065	255/7, 255/8	0.105
56/3	0.055	271/6, 271/7	0.125
60/2	0.092	271/8	0.049
75/1	0.018	योग . .	<u>5.827</u>
75/2	0.085	(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर	
75/3	0.035	(लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर	
75/4	0.030	निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	
76/2	0.140	(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं	
77	0.096	पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर	
78	0.060	संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा	
221/1, 221/2	0.105	सकता है.	
234/1	0.075	(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य	
234/5	0.060	के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन	
236/1, 253/2	0.060	अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.	
255/3	0.058	(5) समूचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in	
236/2	0.092	पर भी अपलोड किया गया है.	
236/3	0.090	क्र. 4006-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-25-अ-82-	
236/4	0.154	2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया	
237/1	0.025	है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,	
237/3, 238/3	0.065	अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	
240/4	0.150	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में	
237/4, 238/4, 240/2	0.098	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की	
241/1	0.038	धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि	
241/2	0.065	पर स्थित संपत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
241/3	0.060	अनुसूची	
241/4	0.060	(1) भूमि का वर्णन—	
244/2, 252/4	0.095	(क) जिला—बड़वानी	

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—दानोद

(घ) क्षेत्रफल—1.094 हेक्टेयर.

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—लिंगवा

(घ) क्षेत्रफल—2.672 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
589/1	0.122
589/2/2, 589/3/2, 589/4	0.210
589/5	0.112
590/1	0.132
590/2	0.048
590/11	0.045
590/12	0.062
634/1, 635/1	0.180
634/2, 635/3	0.085
634/3, 635/4	0.070
635/5	0.028
योग . . . <u>1.094</u>	

खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)
40/1, 41/1/1	0.055
42/1, 42/2, 44/2	0.100
44/1/2	0.155
43, 132/6, 132/7	0.140
134/3, 135	
54/1	0.475
101/4, 102/4	0.240
54/2, 54/3, 55/1, 55/4	0.230
56/1, 103/1	0.290
56/4, 103/2	0.032
103/2	
56/6	0.130
59/1	0.080
59/2, 70/2	0.300
99/7	0.045
99/8	0.055
101/2	0.030
101/3, 102/2	0.100
119/3	0.040
119/5	0.030
119/6	0.025
122/1, 123/2	0.010
132/10	0.110
योग . . . <u>2.672</u>	

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4007-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-15-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन

अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।	(1)	(2)
(5) समूचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।	46/5	0.130
	46/17	0.065
क्र. 4008-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	46/12, 46/14, 46/16	0.100
	56/7	0.035
	57/1/2	0.185
	57/1/3	0.130
	57/2/ख	0.080
	56/12	0.048
	57/3	0.135
	58	0.038

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी	59/1	0.010
(ख) तहसील—राजपुर	59/2	0.098
(ग) ग्राम—सिनगुन	60	0.035
(घ) क्षेत्रफल—3.809 हेक्टेयर.	62/11	0.112
	62/12	0.180
	97/2, 97/3, 100/2,	0.385

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	106/2, 106/3
9/3, 9/4, 13/6	0.124	97/2/1, 97/3/1, 0.070
10	0.030	100/2/1, 106/2/1, 106/3/1
21/2	0.108	99/1
21/4, 22/1, 22/12	0.092	99/2
21/5, 22/13	0.070	106/5/1
21/6, 22/14, 22/15	0.024	109
21/9	0.010	173/3
22/2	0.022	173/7, 178/3, 183/6
22/9	0.046	योग . . . 3.809
23/1	0.014	
23/2	0.046	
23/3	0.068	
31/4, 32/1	0.045	
31/5, 31/6, 32/2	0.145	
33/2	0.240	
34/2	0.180	
34/3	0.145	
35/2, 36/1, 40/2	0.048	
44	0.045	
45	0.095	

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा इससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4010-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-16-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—गोणपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.925 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)
47/2, 53	0.172
47/3, 54/1	0.085
47/4, 55	0.090
47/5	0.090
57/1	0.090
58/5	0.090
58/7	0.050
62, 63, 65/2, 65/3, 66/3	0.085
64/1, 65/4	0.068
64/2	0.032
64/3	0.035
64/4	0.010
65/1	0.070
65/8	0.048
योग . .	<u>0.925</u>

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4011-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-29-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—सजवानी खम
(घ) क्षेत्रफल—3.205 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
16/1	0.035
16/2	0.060
16/3, 15/2	0.195
16/4	0.020
16/5	0.015
47/8	0.050
47/9	0.150
56/3	0.040
56/7	0.015
56/6, 58/3, 57/2	0.290
56/8, 57/1	0.025
56/4	0.020
103/2, 104	0.075
107	0.080
125/3, 125/4, 128/3	0.010
125/7	0.045
125/10	0.010
126	0.240

(1)	(2)
128/1	0.040
128/6	0.020
128/2	0.075
128/5	0.275
128/4	0.030
128/7	0.050
128/13	0.050
128/8	0.040
128/10	0.045
130/3, 132/2	0.100
131	0.080
141/1/1	0.085
162/11	0.100
141/8	0.050
147	0.140
148/4	0.050
148/5	0.005
150/3	0.025
162/1/2	0.140
162/1/3	0.040
189/2	0.100
196	0.025
197/2	0.090
201/1	0.090
202/1	0.035
207/5	0.050
योग . .	<u>3.205</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4012-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-37-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—बिलवानी
(घ) क्षेत्रफल—0.302 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
318/1, 322/3	0.112
319/1, 322/2	0.130
319/2, 320/1, 322/5	0.060
योग . .	<u>0.302</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4013-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-14-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—बालकुआ

(घ) क्षेत्रफल—9.741 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)	151/16	0.025
29/6	0.010	155/3	0.035
35/4	0.190	155/4	0.040
35/1/क, 36/2, 36/3	0.080	154/2, 155/2	0.035
35/1/ख	0.085	155/5	0.005
35/11, 36/4	0.015	158/1	0.027
35/12	0.020	158/2, 158/4	0.032
35/13	0.020	158/3	0.032
88/2	0.030	158/5	0.042
89/1	0.048	158/6	0.070
359/1	0.065	158/12	0.022
133/8	0.010	158/13	0.020
134/3	0.150	172	0.058
134/4, 140/4	0.080	203	0.075
142/2, 143/1	0.080	213/2, 213/4, 219,	0.110
143/3	0.058	220/3, 220/5, 221,	
143/4	0.045	229/2	
144/5	0.050	222/3, 223/4, 223/1/3	0.120
144/9	0.050	222/5, 225/2	0.042
144/6	0.012	410/3	0.010
143/6, 144/3	0.060	222/4, 223/2/2,	0.100
144/7	0.035	223/3, 223/6	
144/8	0.050	248/9	0.045
143/5, 144/2	0.030	223/5, 224, 226/1	0.214
151/2	0.050	226/3	0.222
151/3/1	0.035	228/1/7, 228/5/2, 230/5	0.055
151/3/2	0.035	222/2, 227/2/2	0.050
151/4	0.130	228/5/1	0.085
213/1/2	0.160	410/1	0.055
151/5	0.035	410/2	0.035
		244/9	0.100
		244/10	0.080
		245/3, 246, 248/1	0.140
		248/7	0.060
		248/8	0.056
		244/2	0.010
		248/10	0.048
		354/2	0.066
		268/1	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
268/2	0.032	368/14	0.070
268/3	0.060	368/15	0.022
295/2	0.175	368/17	0.010
298	0.120	372/2	0.040
300/4, 309/3	0.032	374/2	0.010
305/1/1	0.085	373/2	0.080
305/1/2	0.075	374/1	0.152
306/4, 306/7, 307/2	0.086	375/2	0.164
306/10, 307/1	0.110	383/1	0.160
325	0.185	394/4	0.175
327/1	0.080	394/10	0.115
333/1	0.150	397/2	0.085
340/2	0.080	399/1	0.046
348/1	0.128	399/2	0.170
348/2	0.090	403/2	0.040
348/3	0.128	405/1/3	0.060
348/4	0.140	403/4	0.020
348/5	0.080	403/5	0.040
348/6	0.120	404/4	0.050
348/7	0.058	402/3	0.050
349/3	0.060	405/3	0.025
349/8	0.010	405/5	0.095
352/1	0.125	405/8	0.077
352/2	0.006	408/1, 409/7	0.120
352/3	0.055	408/2	0.110
352/4	0.110	408/3, 409/2	0.260
354/6	0.030	408/5	0.030
354/7	0.060		
357/1	0.048		योग . . . 9.741
359/2	0.080		
360/2	0.054		
362/2, 363/2, 365/1	0.262		
368/1	0.175		
368/2	0.045		
368/4	0.095		
368/3	0.022		
368/7	0.048		
368/10	0.035		
368/11	0.040		
368/12	0.045		
368/13	0.037		

- (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4014-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-24-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—लाछी
(घ) क्षेत्रफल—2.724 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
18/1, 18/2, 101/3	0.040
33/1	0.120
38	0.040
40/2	0.035
40/3, 42/3, 43/1	0.070
40/4, 49/5	0.075
47/1	0.010
48/6	0.015
40/5	0.102
48/1	0.075
48/5	0.084
48/7	0.030
48/8	0.015
63/11, 64/4	0.075
64/3, 65/5	0.030
64/5, 65/8, 66/2	0.060
64/6	0.125
76/1, 77/2, 101/4	0.030
76/4	0.032
76/5	0.028
76/9	0.036
77/3, 80/1, 81/4	0.220
81/2, 81/3, 82/1, 83/3	0.200

(1)	(2)
87/1, 88/1, 89/6, 90/4	0.290
84/1	0.092
89/1	0.078
89/2, 90/1	0.080
89/5, 90/2	0.172
103	0.110
106, 113/1	0.120
114	0.110
116/3	0.125

योग . . . 2.724

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4015-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-23-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—मोरानी
(घ) क्षेत्रफल—5.763 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/1/1	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
2/1/2	0.075	44/4, 46/3	0.046
10/1	0.132	44/5, 46/4	0.050
2/4	0.022	46/5	0.160
2/5	0.025	47/2, 55/3	0.056
2/6	0.025	47/3, 55/4	0.065
2/13	0.072	47/4, 55/5	0.068
7/1	0.018	48/1, 50/3, 50/4	0.110
7/5	0.040	48/2	0.164
7/3	0.018	68/1	0.060
7/6	0.050	69/1/1	0.202
7/4	0.018	69/1/2	0.025
8, 15/2, 21/1/क, 22/1	0.032	69/1/3	0.040
9/2	0.056	77/1	0.068
9/4	0.020	77/2	0.030
9/5	0.020	159/1	0.180
9/8	0.020	294/2	0.200
9/9	0.026	159/2, 161/1	0.060
9/10	0.028	161/2	0.020
9/13	0.018	169, 170/2	0.110
14/5	0.086	167/2	0.120
18/4	0.032	167/1	0.090
18/6, 18/7	0.022	170/4	0.070
19/2, 37/1/3	0.115	171/1/7	0.080
26/2, 27/3	0.300	288/4, 298/3	0.110
29/2	0.108	288/5	0.030
29/3	0.032	294/1	0.110
29/4	0.060	294/8	0.090
29/6	0.016	294/7	0.130
29/9	0.028	291/2, 291/3	0.130
29/15	0.040	319/3	0.010
29/16	0.022	318/4	0.080
31/2	0.010	319/9	0.034
31/3	0.074	319/11	0.036
31/4	0.036	319/14	0.100
36/1	0.068	319/10	0.050
37/1/1, 39/2, 39/3	0.098	319/13	0.030
37/1/2	0.066	321/2	0.050
37/5	0.092	322/2	0.315
44/2, 46/1	0.040	325/3, 327/3	0.120
		334/1	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
334/2	0.060	39/4	0.032
339/2	0.102	43/6	0.010
योग . .	<u>5.763</u>	45/6ख	0.090
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		43/7	0.065
		129/5	0.100
		43/8	0.053
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		43/9, 46/6, 48, 49	0.059
		43/13	0.042
		45/2	0.048
		45/4	0.060
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		45/7	0.010
		43/14, 45/6क	0.005
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		54/1	0.120
		54/3	0.022
		54/4/1	0.020
क्र. 4016-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-40-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		46/2, 46/4, 47, 54/4/2	0.030
		74/2/1	0.100
		55/1	0.110
		55/3	0.100
		53/3, 55/4, 56	0.074
		98/4, 99/3, 100/5	0.050
		102, 103/1	0.145
		57/6	0.010
		57/7	0.085
		57/8	0.055
		69/3	0.005
		69/4	0.045
		69/5	0.047
		68/2, 69/6, 70/3	0.025
		74/6	0.068
		74/7	0.050
		75/1	0.068
		95/1	0.056
		95/2	0.067
		95/3	0.053
		95/5, 142/2, 142/3	0.032
		97/1, 100/2	0.046
		97/8/क, 100/6	0.050
खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)		
21/5	0.068		
94/2, 95/6	0.053		
21/15	0.041		
94/1, 95/4	0.038		
39/1	0.048		
39/2	0.048		
70/2, 71, 75/2	0.095		
39/3	0.180		

(1)	(2)	(ग) ग्राम—छोटी खरगोन	(घ) क्षेत्रफल—8.950 हेक्टेयर.
97/9, 100/7	0.043	खसरा	अधिग्रहित किया जाने वाला
97/10, 100/8	0.048	नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)
98/2, 99/1, 100/3	0.048	(1)	(2)
98/3, 99/2, 100/4	0.048	3/2, 3/5, 5/4	0.050
116/5, 116/6, 116/7 } 164/2 }	0.090	3/8, 6/4	0.040
119/3, 120/3, 129/3	0.122	3/6, 5/5, 6/6, 6/7, 5/7	0.128
133/2, 134/1	0.100	3/9	0.015
134/2	0.150	3/11	0.045
139	0.180	8/1	0.040
143	0.020	8/2	0.010
144/4	0.060	8/6	0.075
160/2	0.127	8/3	0.010
161/2	0.128	8/5	0.042
164/1	0.100	8/4	0.058
योग . . .	<u>3.942</u>	8/8	0.032
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		8/9	0.114
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		9/3	0.060
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		9/4	0.060
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		10	0.320
क्र. 4017-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-18-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		11/1	0.160
		11/2	0.200
		11/3	0.160
		12	0.020
		13	0.080
		14/5	0.112
		19/2	0.164
		20/5, 21/3	0.108
		103/1	0.050
		24/1	0.380
		24/4	0.015
		25, 26	0.570
		27/1	0.160
		27/2	0.120
		28/2	0.005
		30/2	0.054
(1) भूमि का वर्णन—		30/11	0.065
(क) जिला—बड़वानी		30/6	0.060
(ख) तहसील—राजपुर		30/14	0.092

(1)	(2)
30/7	0.066
30/8	0.055
30/10	0.085
32/4	0.225
33/1, 33/2	0.115
33/5, 33/6	0.080
34/1	0.195
34/2	0.155
34/3	0.440
38/1/5	0.025
39/1, 39/2	0.150
40/5	0.072
40/4, 40/6	0.160
41/2, 41/3, 41/4	0.045
41/6, 41/11	0.056
41/10	0.090
41/12	0.105
72/1	0.610
72/2	0.112
72/3	0.338
73/1	0.212
75/1, 75/3	0.310
75/7	0.295
75/2, 75/4	0.100
76/1, 76/2	0.115
75/6	0.080
76/3	0.230
99/2	0.095
101/2	0.125
103/2	0.180
101/3	0.020
101/5	0.125
104	0.210
योग . .	<u>8.950</u>

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4002-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-35-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—खड़की
(घ) क्षेत्रफल—1.352 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
13/1, 15	0.260
14	0.260
16/3	0.040
23/2	0.082
23/9, 25/9	0.130
23/12	0.260
25/4, 25/5, 25/6	0.030
27/3	0.040
31/1	0.135
31/2	0.115

योग . . 1.352

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4018-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-41-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—सजवानी
(घ) क्षेत्रफल—1.657 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
114/4/2	0.007
116/3	0.096
281/1, 282/2	0.210
117/1/1, 117/2, 117/3, 117/4	0.058
117/1/2	0.090
126/4, 128	0.200
129/3	0.148
131	0.100
133/5	0.055
272/1	0.098
272/2	0.065
281/2	0.026
281/3	0.056
281/4	0.095
281/5	0.045
281/7	0.026
281/11	0.026
281/12	0.026
399/1	0.134
399/2	0.096
योग . .	1.657

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4019-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-34-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—टेमला बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल—1.863 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
14/5, 15/9	0.105
16/6	0.092
16/7	0.122
21/15	0.072
21/8	0.044
21/5	0.044
21/16	0.115
23/1, 23/2, 23/3/1, 25, 32/2	0.080
23/5, 32/3	0.032
26	0.010
74/4	0.074
74/6	0.035
74/9	0.030
103	0.035

(1)	(2)	(1)	(2)
105/1	0.130	17/5	0.030
105/3, 106/1	0.072	17/2	0.166
105/4	0.010	17/3	0.115
105/2, 106/2	0.050	17/4	0.080
105/5	0.072	17/7	0.220
139/2	0.150	18/2, 19/3	0.066
140/1	0.290	18/3, 19/5	0.275
141/2	0.010	18/6, 19/7	0.062
155/5	0.164	42/2	0.320
158	0.025	43/1/1	0.090
योग . . .	<u>1.863</u>	43/1/2, 43/2	0.506
(2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		43/3, 43/4	0.502
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		44/3	0.042
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		44/4	0.028
(5) समूचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		44/5	0.090
		44/11	0.025
		387/1	0.140
		387/7	0.036
		387/5	0.064
		387/6	0.026
		387/8	0.025
		390/1	0.026
क्र. 4020-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-33-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		390/2	0.298
		390/4	0.065
		390/5	0.060
		390/6	0.090
		390/7, 390/8	0.020
		412/2	0.012
		412/3, 414/2	0.210
		412/4	0.060
		412/6	0.032
		412/7	0.052
		413/1	0.120
		413/3	0.060
		413/2	0.240
खसरा	अधिग्रहित किया जाने वाला	413/4	0.052
नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)	416/1, 417/8	0.090
(1)	(2)	416/4, 417/4	0.050
17/1	0.032		

(1)	(2)
416/2, 421/1	0.065
416/3, 417/1	0.070
421/2	0.115
421/5	0.050
422/1ख	0.056
422/1ग	0.110
422/3ड	0.105
422/5क	0.130
422/5ख	0.190
422/5घ	0.050
423/10	0.285
434/1	0.230
433/9, 434/2	0.154
438/5	0.110
438/7	0.090
440/1/1, 440/2	0.060
440/4	0.060
योग . .	<u>6.407</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4021-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-39-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी

- (ग) ग्राम—तलवाड़ा बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल—0.470 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर)
(1)	(2)
165/1	0.150
167/1	0.035
180/1	0.130
181/2, 202/2, 202/3	0.065
215/1घ	0.010
215/2	0.080
योग . .	<u>0.470</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4023-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-45-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—कुसमरी
(घ) क्षेत्रफल—6.168 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.250
2/3	0.055
2/4	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
4/1	0.090	65/2	0.140
7/1	0.050	75/8	0.020
7/3	0.225	75/10	0.100
7/4	0.088	75/11	0.030
7/5	0.110	81/3	0.160
7/6	0.030	81/4	0.072
7/7	0.045	81/5	0.055
7/8	0.025	81/7	0.006
7/9	0.035	81/8	0.040
30/1/3, 30/2, 62/4/1	0.135	85/3	0.220
31/1	0.030	85/4	0.035
34/2/3	0.015	85/5	0.035
34/2/3	0.015	85/6	0.020
31/3	0.052	85/7	0.018
34/3	0.035	85/16	0.020
40/3	0.270	85/21	0.018
43/1	0.160	85/22	0.015
43/3	0.095	85/23	0.018
43/2	0.090	85/24	0.013
44/1	0.090	137/1	0.140
44/2	0.050	137/2	0.015
45/4	0.100	138/1	0.220
46	0.170	138/3	0.025
48/2, 49	0.200	138/6	0.160
52/1	0.075	138/4	0.082
52/2	0.100	141/2	0.105
52/3	0.085	180/2	0.015
52/5	0.080	186/1	0.098
54/1	0.045	186/5	0.080
54/2	0.075	186/2	0.058
54/3	0.058	186/3	0.150
54/4	0.065	186/6	0.150
55/4	0.065		
55/8	0.042		
55/9	0.050		
55/10	0.030		
55/11	0.025		
56/5	0.110		
59/3	0.025		
56/6	0.300		
62/3	0.060		
		योग . .	<u>6.168</u>

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समुचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4024-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-42-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—खडकल
(घ) क्षेत्रफल—0.963 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
65/3	0.048
69/1	0.010
70/2	0.045
70/3	0.090
70/4	0.060
70/5	0.065
70/6	0.080
79/1, 80/1, 80/3, 81/3	0.080
79/2, 80/4	0.025
81/8	0.030
81/5, 81/7, 81/9,	0.090
81/10, 123/5	
83/4	0.150
83/2	0.060
83/3	0.055
123/7	0.075
योग . .	<u>0.963</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समुचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4025-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-36-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—भामी
(घ) क्षेत्रफल—2.820 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
6	0.025
7/1	0.200
25/1	0.065
28/2	0.096
25/3	0.024
48/2	0.060
25/4	0.038
25/5	0.024
47	0.026
48/1, 49/2	0.060
50/2	0.026
50/3, 51/2	0.065
51/3	0.042
58/5	0.020
61/3	0.056
61/4	0.102

(1)	(2)	क्र. 4026-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-43-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
65	0.025		
179/3	0.016		
179/4	0.034		
179/5	0.014		
179/6	0.036		
179/7	0.014		
179/10	0.016		
180/1	0.095		
180/2, 190/2	0.330		
181/2	0.290		
193/4, 194, 195	0.078		
197, 198	0.062		
219	0.035		
283/2	0.155		
274/9	0.010		
275/1	0.068		
275/3	0.074		
275/2	0.052		
275/4	0.065		
277/4, 277/5	0.094		
277/8	0.020		
277/7	0.022		
277/10	0.045		
281/3	0.048		
281/4	0.024		
281/6, 281/7	0.043		
281/5, 281/8, 281/10	0.028		
281/12	0.058		
281/13	0.040		
योग . .	2.820		
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		(1)	(2)
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		8/4	0.060
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		140	0.094
		12/1	0.020
		12/2	0.020
		63/2	0.046
		13/2, 14/2	0.260
		14/1	0.086
		28/2, 36, 37/3	0.330
		41/2	0.197
		39/5, 40	0.142
		41/3	0.120
		42	0.320
		61	0.177
		63/4	0.058
		141/2	0.013
		142	0.195
		63/5	0.048
		63/6	0.050
		64/4	0.090
		74/2	0.090
		78/2	0.150
		119/2, 120/1, 120/2,	0.268

(1)	(2)	(ग) ग्राम—दमदमी	(घ) क्षेत्रफल—2.702 हेक्टेयर.
120/3, 145/2			
144	0.020	खसरा	अधिग्रहित किया जाने वाला
149/2, 149/3, 150,	0.175	नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)
151, 152		(1)	(2)
158/1, 159/2क	0.37	12/1ग, 12/2क,	0.068
158/2, 159/1	0.070	15/1ग, 15/2क	
172/1	0.060	12/1/ख, 15/1/ख	0.050
172/12	0.025	12/2ख, 15/2ख	0.072
175/1	0.260	12/3, 13/2, 14/2/ख	0.390
योग . .	<u>3.481</u>	14/2/ग	
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		12/4, 14/1, 15/3	0.225
		13/3, 14/3, 14/4	0.050
		16/1	0.032
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		16/2	0.090
		18/3	0.128
		18/4	0.045
		19/1	0.025
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		53/1	0.118
		53/2	0.090
		53/3	0.115
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		53/5	0.080
		62/1	0.085
		62/2	0.080
क्र. 4042-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-19-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		62/3	0.330
		63	0.100
		64/1/2	0.090
		64/1/4	0.085
		64/2, 65/2	0.096
		92/1	0.020
		94/1	0.078
		94/6	0.160
		योग . .	<u>2.702</u>
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—बड़वानी			
(ख) तहसील—राजपुर			
(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर			

निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	(1)	(2)
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	42/3	0.060
	42/4	0.100
	42/5	0.040
	94/2	0.120
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.	95/1	0.020
	95/4	0.050
	95/8	0.030
(5) समुचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.	95/2	0.030
	95/5	0.045
क्र. -रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-22-अ-82-2016-	95/9	0.050
17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	95/3	0.040
	95/6	0.040
	95/10	0.065
	95/7	0.120
	योग . .	<u>1.010</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—मोरगुन
(घ) क्षेत्रफल—1.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
13/3/1	0.060
13/3, 41/3, 42/2	0.060
17/2, 17/3	0.015
17/4	0.005
17/5	0.060

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वैबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 22nd June 2017

No. 813-Confdl.-2017-II-15-36-99.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two days' **Workshop on—Labour Laws** for the Presiding Officers of the Labour Court and Judicial Officers posted on deputation on **21st & 22nd July 2017** in the Academy. Officers, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2017

क्र. B-3431-दो-2-45/2015.—श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 10 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-21-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-4429-दो-2-5/2004.—श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस के अवकाश (पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश सहित) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3:(ए)19-03-21-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-4431-दो-2-58/2010.—श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 05 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक

9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्र. E-4578-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का एक दिन का तथा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2017

क्र. B-3527-दो-2-27-2017.—डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 09 से 16 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4567-दो-2-24-2015.—श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सीहोर को दिनांक 27 से 30 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4571-दो-2-34-2013.—श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 02 से दिनांक 4 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्र. B-3533-दो-2-11/2014.—श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 15

से 17 फरवरी 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4576-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 18 से 21 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 जून, 2017

क्र. 815-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मनोज कुमार	बड़वानी	डबरा	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्र. 817-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री रहस बिहारी गुप्ता	सीधी	रीवा	रीवा	सिविल जिला, रीवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह के स्थान पर.
2.	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला	कटनी	विदिशा	विदिशा	सिविल जिला, विदिशा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
3.	श्री बीरेन्द्र एस. पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	होशंगाबाद	अशोकनगर	अशोकनगर	सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुनीता यादव के स्थान पर.
4.	श्री अनिल कुमार मोहनिया	बैतूल	कटनी	कटनी	सिविल जिला, कटनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5.	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	कटनी	बड़वानी	बड़वानी	सिविल जिला, बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6.	श्रीमती शशिकला चन्द्रा	खण्डवा	हरदा	हरदा	सिविल जिला, हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शम्भू सिंह रघुवंशी के स्थान पर.
7.	श्री राकेश कुमार सिंह	रीवा	शहडोल	शहडोल	सिविल जिला, शहडोल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	श्रीमती सुनीता यादव	अशोकनगर	दतिया	दतिया	सिविल जिला, दतिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
9.	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी	हरदा	खण्डवा	खण्डवा	सिविल जिला, खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. एस. गौतम के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 818-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री अनिल कुमार गुप्ता	गुना	बैतूल	बैतूल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया स्थान पर.	बैतूल
2	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	आष्टा	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर.	खण्डवा
3	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर	जबलपुर	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रश्मि अग्रवाल के स्थान पर.	होशंगाबाद

क्र. 819-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुमारी भावना साधो	भोपाल	मण्डला	मण्डला	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मंडला की हैसियत से.
2.	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	शाजापुर	शहडोल	शहडोल	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3.	श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह	लखनादौन	सौंसर	छिन्दवाड़ा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी:—

- (1) श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर,
- (2) श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन, जिला सिवनी, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्र. B-3487-दो-2-38-2017.—श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 29 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समरेश सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3493-दो-2-73-2015.—श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 08 से 11

अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अगस्त 2017 से दिनांक 15 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (डी.ई.) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2017

क्र. बी-3424-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री राजेश कुमार रावतकर, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिए सौंसर, जिला छिंदवाड़ा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, छिंदवाड़ा में ही बैठक करेंगे. छिंदवाड़ा-सौंसर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्द्वारा समाप्त की जाती है.

No. B-3424.-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Rajesh Kumar Rawatkar, III Additional District Judge, Chhindwara, who is directed to hold sitting at Saunsar in addition to his place of posting, Chhindwara for a period of two weeks in a month will now hold sitting at

his place of posting, Chhindwara only. The sitting of Chhindwara-Saunsar Link Court is hereby discontinued.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

फा. क्र. 1-2017-इक्कीस-ब(एक)2469.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मई 2017 को मान्य करते हुए श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आष्टा जिला सीहोर का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम-14(क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 16(क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग-पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.